पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

प्र.का. 7 भीखाएजी कामा प्लेस,
नयी दिल्ली 110 607
Head Office : 7, Bhikhaiji Cama Place,
New Delhi - 110 607

असाधारण आम बैठक
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

दिनांक बृहस्पतिवार 19 मार्च, 2015
समय : पूर्वाह्न 10.30 बजे
DATE: THURSDAY, THE 19TH MARCH, 2015
TIME: 10.30 A.M.

स्थान :
पंजाब नैशनल बैंक ऑडिटोरियम,
केन्द्रीय स्टॉफ कॉलेज
8, अंडरहिल रोड, सिविल लाइन्स,
दिल्ली–110054

Venue:
PUNJAB NATIONAL BANK AUDITORIUM,
CENTRAL STAFF COLLEGE,
8, UNDERHILL ROAD, CIVIL LINES,
DELHI-110 054

विषय वस्तु
CONTENTS

पृष्ठ सं0
Page No.

सूचना
NOTICE....................1-8

व्याख्यात्मक कथन
EXPLANATORY STATEMENT....................9-30

घोषणा
DECLARATION....................31-34

नामांकन फार्म
NOMINATION FORM....................35-36

व्यक्तिगत सूचना
PERSONAL INFORMATION....................37-44

प्रॉक्सी फार्म
PROXY FORM....................45-48

उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास सह मतदान पत्र
ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS CUM BALLOT PAPER PASS....................49-50

कार्यक्रम की महत्वपूर्ण तिथियाँ
IMPORTANT CALENDER OF EVENTS

असाधारण आम बैठक में शेयरधारकों के भाग लेने/नामांकन करने/चुनाव लड़ने की पात्रता का पता लगाने के लिए कटऑफ तिथि Cut-off date for ascertaining the entitlement of shareholders for attending the EGM/Nominate/ Contest elections	शुक्रवार, 13 फरवरी, 2015 Friday, 13th February, 2015
नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि Last date for receiving nominations	बुधवार, 04 मार्च, 2015 Wednesday, 04th March 2015
नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि Last date for withdrawal of nominations	शनिवार, 07 मार्च, 2015 Saturday, 07th March 2015
ई–वोटिंग की अवधि Period of e-voting	12.03.2015 से 14.03.2015 12.03.2015 to 14.03.2015
प्रॉक्सी फार्मो व प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति का संकल्प जमा करने की अंतिम तिथि Last date for receipt of Proxy Forms and Resolutions appointing Authorized Representatives	शनिवार, 14 मार्च, 2015 Saturday, 14th March, 2015

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

प्रधान कार्यालय : 7, भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110 607
(email – hosd@pnb.co.in)

सूचना

पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन 2000 के विनियम 57 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक दिनांक 19 मार्च, 2015 बृहस्पतिवार को पूर्वाहन 10.30 बजे पंजाब नैशनल बैंक ऑडिटोरियम, केन्द्रीय स्टाफ कॉलेज, 8 अंडरहिल रोड, सिविल लाईंस दिल्ली–110054 में आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर विचार–विमर्श किया जायेगा।

1. बैंक के तीन शेयरधारक निदेशकों का चुनाव

निम्नलिखित संकल्प पारित करके बैंक के शेयरधारकों में से केन्द्र सरकार को छोड़कर ऐसे अन्य तीन निदेशकों को चुनना जिनके सम्बन्ध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (जिसे इसके बाद 'विनियमन अधिनियम' कहा गया है) के साथ पठित बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में अधिनियम कहा गया है) की धारा 9(3)(i) के अनुसार वैध नामांकन प्राप्त हुए हों, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (जिसे इसके बाद योजना कहा गया है) और पंजाब नैशनल बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 2000 (जिसे इसके बाद विनियमन कहा गया है) एवं भारतीय रिजर्व बैंक की 1.11.2007 की अधिसूचना संख्या डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 व 47/29.39.001/2007–08 एवं 23.05.2011 की अधिसूचना संख्या डीबीओडी बीसी सं. 95/29.39.001/2010–11 (जिसे इसके बाद भा.रि.बैंक अधिसूचना कहा गया है) और सरकारी दिशानिर्देशों के द्वारा निम्न संकल्प पारित किया गया है:

2. बैंक में इक्विटी पूँजी को बढाना

विशेष संकल्प के माध्यम से एफपीओ/क्यूआईपी/इएसपीएस या किसी अन्य माध्यम या तत्संबंधी किसी संयोजन के द्वारा बैंक की इक्विटी पूँजी की बढोत्तरी को अनुमोदित करना।

संकल्पः

मद 1

निम्नलिखित पर विचार करना और उचित समझे जाने पर संशोधन सहित या संशोधन के बिना संकल्प के रूप में पारित करनाः

क) "**संकल्प पारित किया जाता है**" कि योजना तथा उसके तहत बनाए गए विनियमों एवं भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना के साथ पठित अधिनियम की धारा 9(3) (i) के अनुक्रम में केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से चुने गए तीन निदेशक एतद्द्वारा बैंक के निदेशक के पद पर नियुक्त किए गए और वे 21.03.2015 से बैंक के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे और इस प्रकार से पदभार ग्रहण की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर बने रहेंगे।

Head Office : 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi – 110 607
(email – hosd@pnb.co.in)

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 57 of Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000 that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Punjab National Bank will be held on Thursday, the 19th March, 2015 at 10.30 A.M. at Punjab National Bank Auditorium, Central Staff College, 8, Underhill Road, Civil Lines, Delhi-110054 to transact the following business:

1) Election of Three Shareholder Directors of the Bank

To elect THREE Directors from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as "Act"), read with the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "Regulation Act"). The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as "Scheme") and the Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as "Regulations") and Notification Nos. DBOD.No.BC. No.46& 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and DBOD.No.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "the RBI Notification") and GOI guidelines.

2) Raising of Equity Capital of the Bank

To approve raising of equity capital of the Bank by way of FPO/QIP/ESPS or any other mode or any combination thereof by way of Special Resolution.

RESOLUTIONS:

ITEM 1

To consider and if thought fit, pass with or without modification(s), the following Resolution:

A) "**RESOLVED THAT** three Directors elected from amongst shareholders other than the Central Government, pursuant to Section 9(3) (i) of the Act read with relevant Scheme, Regulations made there under and RBI Notification, be and are hereby appointed as the Directors of the Bank to assume office from 21.03.2015 and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption".

मद. 2

ख) **"संकल्प किया जाता है कि"** बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 **(अधिनियम)**, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 **(योजना)** और पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन 2000 यथा संशोधित के प्रावधानों के अनुसरण में तथा यदि आवश्यक हुआ तो भारतीय रिजर्व बैंक, (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), और/या इस सम्बन्ध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और स्वीकृति के अधीन तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा व्यक्त की गई सहमति के अनुसार इस सम्बन्ध में किन्हीं शर्तों, निबन्धनों और संशोधनों के अधीन ऐसे अनुमोदन देने के लिए बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल को (जिसे इसके बाद इस संकल्प में निदेशक मंडल कहा गया है, जिसके सम्बन्ध में यह माना जायेगा कि उसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल होगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गठित की गई हो या गठित की जानी हो) प्रदान की जाती है। प्रस्ताव, निर्गम और आवंटन का सृजन करने के लिए (प्रावधान सहित फर्म आवंटन का आरक्षण और/या ऐसे निर्गम की प्रतियोगी के आधार के लिए और ऐसी श्रेणियों के व्यक्ति को कानून द्वारा अनुमति दी जा सकती है, तब लागू होगा) एक प्रस्ताव दस्तावेज/प्रॉस्पेक्टस या ऐसे अन्य दस्तावेज के माध्यम से भारत में या विदेश में, शेयरों की ऐसी संख्या समय-समय पर सेबी/भारतीय रिजर्व बैंक आदि द्वारा तैयार दिशा निर्देशों के अनुसार होगी। ऐसी राशि/राशियां (जैसा कि बोर्ड या बोर्ड की समिति द्वारा इस प्रकार निर्णय लिया गया हो) इस बात पर निर्भर करती है कि केंद्र सरकार हमेशा बैंक की चुकता पूंजी कभी भी 52% से कम धारण नहीं करेगी, चाहे वे बाजार मूल्य छूट अथवा प्रीमियम पर शेयर का एक अथवा उससे अधिक हिस्सा हो, जिसमें एक या अधिक सदस्य शामिल हों, बैंक के कर्मचारी, भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय (NRIs) कंपनियाँ, निजी और सार्वजनिक, निवेशी संस्थान, सोसायटी, न्यास, शोध संस्थान, पात्र संस्थागत क्रेता (क्यूआईबी) जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) बैंक, वित्तीय संस्थान, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर केपिटल फंड, विदेशी वेंचर केपिटल इन्वेस्टर, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियाँ, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थान या अन्य ईकाईयां, प्राधिकरण, या अन्य किसी श्रेणी के निवेशक, जो वर्तमान विनियमनों/दिशानिर्देशों के अनुसार जो कि बैंक के इक्विटी शेयरों में निवेश करने के लिए पात्र हैं ।

ग) **"संकल्प किया जाता है कि"** इस तरह के निर्गम प्रस्ताव या आवंटन सार्वजनिक निर्गम, ओवर आवंटन विकल्प सहित या रहित, क्यूआईपी कर्मचारी शेयर खरीद योजना के माध्यम से किया जाएगा और इस तरह के प्रस्ताव, निर्गम, प्लेसमेंट और आवंटन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, सेबी (पूँजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियमन) और भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी तथा अन्य सभी संबद्ध प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों के अनुसार लागू होते हैं और ऐसे समय या इस तरह के तरीके और इस तरह के नियम और शर्तों को कई बार बोर्ड, अपने पूर्ण विवेक से उचित समझता है।"

घ) **"यह भी संकल्प किया जाता है कि"** इस उद्देश्य के लिए गठित निदेशक मण्डल या निदेशक मण्डल समिति को प्राधिकार दिया जाता है कि वह आई सीडी आर विनियमनों, अन्य विनियमनों के अनुसार अपने पूर्ण विवेक के अनुसार, इन नियमों और शर्तों पर लीड प्रबन्धकों और हामीदारों और या अन्य सलाहकारों से विमर्श करके जहां आवश्यक हो और उन मूल्यों पर, समुचित निर्णय कर सकें कि इस प्रकार के निवेशक बैंक के वर्तमान सदस्य या कर्मचारी हैं या नहीं, पर यह मूल्य आईसीडीआर विनियमों के संबन्धित प्रावधानों के तदनुसार निश्चित मूल्य से कम मूल्य पर ना हों।"

ड़) **"यह भी संकल्प किया जाता है कि"** निर्गम, आबंटन तथा निदेशक मंडल की सहमति के अनुसार शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते समय निदेशक मंडल को यह अधिकार होगा कि

ITEM 2

B) **RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document /prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares in accordance with the guidelines framed by SEBI/RBI etc. from time to time, up to such amount/s (as decided by the Board or Committee of the Board in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity Capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organizations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are eligible to invest in equity shares of the Bank as per extant regulations/guidelines."

C) "**RESOLVED FURTHER THAT** such issue, offer or allotment shall be by way of public issue, QIP, Employee Stock Purchase Scheme, (ESPS) with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("ICDR Regulations") and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

D) "**RESOLVED FURTHER THAT** the Board or the Committee of the Board constituted for the purpose shall have the authority to decide, at such price or prices and in such manner

वह भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/स्टॉक एक्शचेंज जहॉ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, उस स्टॉक एक्सचेंज अथवा अन्य उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित अथवा सुझाए गये प्रस्तावों के संशोधनों को स्वीकार करें।

च) **"यह भी संकल्प किया जाता है कि"** प्रवासी भारतीय निवेशों विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों और या अन्य पात्र विदेशी निवेशों के लिए नए इक्विटी शेयर अधिमान शेयरों प्रतिभूतियों, यदि कोई हो, को जारी या आबंटित करना विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदन का विषय होगा परंतु अधिनियम के अंतर्गत नियत समग्र सीमाओं के भीतर।

छ) **"यह भी संकल्प किया जाता है कि"** उक्त नए इक्विटी शेयर यथा संशोधित पीएनबी (शेयर एवं बैठकें) विनिमय 2000 के अनुसार जारी किए जाएंगे तथा ऐसी घोषणा के समय प्रवृत्त सांविधिक मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ (लाभांश सहित यदि घोषित हो) सभी दृष्टियों से समान माने जायेंगे।

ज) **"यह भी संकल्प किया जाता है कि"** इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि ऐसे सभी कार्य, क्रियाएं, मामले और विचार करें जो अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित और अपेक्षित समझें जिनसे किसी प्रश्न, समस्या अथवा ऐसे संदेह का निराकरण हो सके जो इक्विटी शेयरों के निर्गम से सम्बन्धित हो और साथ ही ऐसे सभी कार्य आदि करें, आवश्यक होने वाले सभी दस्तावेजों और विलेखों को अंतिम रूप दें और निष्पादित करें जो उनके पूर्ण विवेक के अनुसार उचित समझे जाने पर अपेक्षित अथवा आवश्यक, उचित एवं वांछित हो और सदस्यों या बैंक द्वारा प्रदत्त किसी शक्तियों और निदेशक मण्डल द्वारा बिना पूर्व अनुमोदन के आगमों को जारी करने में उत्पन्न किसी प्रश्न, समस्या, संदेह का समाधान करने के लिए और नियम और शर्तों के अनुसार इस प्रकार के संशोधनों, परिवर्तनों, असमानताओं, प्रत्यावर्तनों, विलोपनों को प्रभाव में लाने हेतु, अपने पूर्ण विवेक के अनुसार, जैसा उनके विचार और बैंक के अधिकतम हित के लिए उचित हो , के लिए निर्देश या आदेश देना , यह निदेशक मण्डल द्वारा इस संकल्प की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है।

झ) **"यह भी संकल्प किया जाता है कि"** सबस्क्राइब न किए गए इस प्रकार के शेयरों/प्रतिभूतियों को निदेशक मण्डल द्वारा अपने पूर्ण विवेक के अनुसार उस प्रकार निपटाया जा सकता है, जैसे उन्हें उचित प्रतीत हो और विधि द्वारा स्वीकृत हो।

ट) **"यह भी संकल्प किया जाता है कि"** इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद्द्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि ऐसे सभी कार्य, क्रियाएं, मामले और विचार करें जो अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित और अपेक्षित समझें जिनसे किसी प्रश्न, समस्या अथवा ऐसे संदेह का निराकरण हो सके जो इक्विटी शेयरों के निर्गम से सम्बन्धित हो और साथ ही ऐसे सभी कार्य आदि करें, आवश्यक होने वाले सभी दस्तावेजों और विलेखों को अंतिम रूप दें और निष्पादित करें जो उनके पूर्ण विवेक के अनुसार उचित समझे जाने पर अपेक्षित अथवा आवश्यक, उचित एवं वांछित हो और ऐसा करने के लिए उन्हें शेयरधारकों की किसी अन्य सहमति की जरुरत नहीं होगी अथवा अंततः यह प्राधिकार दें

and where necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, or employees of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant ICDR Regulations."

E) "**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting such approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

F) "**RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment of new equity shares, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

G) "**RESOLVED FURTHER THAT** the said new equity shares to be issued shall be subject to the PNB (Shares and Meetings) Regulations, 2000, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

H) "**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to issue or allotment of equity shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, including to employees under ESPS, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium on issue as the Board in its absolute discretion deems fit in terms of ICDR Regulations and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

I) "**RESOLVED FURTHER THAT** such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा प्रकट रूप से उसके सम्बन्ध में अपना अनुमोदन दे दिया है।

ठ) "**यह भी संकल्प किया जाता है कि**" निदेशक मंडल को एतदद्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि इस संकल्प में प्रदत्त सभी अथवा कोई एक शक्ति बैंक के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक (कों) अथवा अन्य कार्यपालकों की समिति को प्रत्यायोजित करें जो उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए वह उचित समझें।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नैशनल बैंक

Gauri Shankar

(गौरी शंकर)
कार्यपालक निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 02.02.2015

J) **"RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution"

K) **"RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman/Managing Director or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors or such other officer (s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolutions."

By order of the Board of Directors
For Punjab National Bank

Gauri Shankar

(Gauri Shankar)
Executive Director

Place : New Delhi
Date : 02.02.2015

व्याख्यात्मक कथन

मद सं. 1 शेयरधारक निदेशकों का निर्वाचन

निदेशक का निर्वाचन करने के लिए शेयरधारकों का अधिकार

भारत सरकार के अलावा शेयरधारक बैंक की शेयर पूंजी के 41.13% धारक हैं। अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अनुसार, पंजाब नैशनल बैंक, बैंक के शेयरधारकों (केन्द्र सरकार के अलावा) का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतम तीन निदेशक रखने का पात्र है। तीन शेयरधारक निदेशक

1. श्री डी के सिंगला
2. डॉ. सुनील गुप्ता
3. श्री एम एन गोपीनाथ

20 मार्च, 2015 तक पदभार ग्रहण करेंगे, और उसके पश्चात् 21 मार्च, 2015 को तीन रिक्तियां होंगी।

तदनुसार, रिक्तियों को भरने के मद्देनज़र, बैंक की असाधारण आम बैठक का बैंक (केन्द्र सरकार के अलावा) के शेयरधारकों को प्रतिनिधित्व करने वाले तीन निदेशक का चुनाव करने के लिए संयोजन किया गया है।

अतः शेयरधारक (केन्द्र सरकार के अलावा) अपना नामांकन भेजने के पात्र हैं अथवा सम्बद्ध अधिनियम, विनियमन अधिनियम, योजना, विनियमन, अधिसूचना जिनके संबद्ध अंश इसमें दिये गये हैं, की विस्तृत प्रक्रिया अनुसार चुनाव लड़ सकते हैं। चुने गये निदेशक दिनांक 21.03.2015 को पदभार ग्रहण करेंगे और पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक के लिए बने रहेंगे।

कानूनी प्रावधान

इस मामले से संबंधित विभिन्न अधिनियमों/योजनाओं/विनियमों/अधिसूचना में दिए प्रावधान निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं :–

अधिनियम/योजनाओं/विनियमन/अधिसूचना	प्रावधान
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 20
बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3(2ई), धारा 9(3)(i), धारा 9 (3ए) (ए) से (सी), धारा 9(3एए), धारा 9(3एबी), धारा 9(3) बी, धारा 13(2)
राष्ट्रीयृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970	खंड 9(4), खंड 10, खंड 11, खंड 11ए, खं 11बी, खंड 12(8)
पंजाब नैशनल बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2000	विनियम 10, 61ए से 70
भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्याः दिनांक 01.11.2007 डीबीओडी नं. बीसी. नं. 46 तथा 47/29.39.001/2007–08 तथा दिनांक 23.05.2011 सं. डीबीओडी नं. बीसी. नं. 95/29.39.001/2010–11	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3 एए) और धारा 9 (3एबी) के अनुक्रम में राष्ट्रीयकृत बैंक के बोर्ड में चयनित निदेशकों के लिए सक्षम और उपयुक्त मानदंड

EXPLANATORY STATEMENT

Item 1- Election of Shareholder Directors

RIGHTS OF SHAREHOLDERS TO ELECT DIRECTORS

Shareholders other than GoI hold 41.13% of the share capital of the Bank. As per Section 9(3) (i) of the Act, Bank is entitled to have a maximum of three Directors representing the shareholders of the Bank (other than the Central Government). The three Shareholder-Directors viz.,

- Shri D.K Singla
- Dr. Sunil Gupta
- Shri M.N. Gopinath

will hold office till 20th March, 2015, and therefore, three vacancies will arise on 21st March, 2015.

Accordingly, with a view to fill the vacancies an Extraordinary General Meeting of the Bank is being convened to elect three Directors representing the shareholders of the Bank (other than the Central Government).

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations or can seek election, if eligible, as per the procedure detailed in relevant Act, Regulation Act, Scheme, Regulations, Notification, the relevant portions of which are indicated hereunder. The elected directors will assume office only on 21.03.2015 and will hold office for a period of three years from the date of assumption of office.

LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Scheme / Regulations / Notifications governing the matter.

ACTS / SCHEME / REGULATIONS / NOTIFICATIONS	PROVISIONS
Banking Regulations Act, 1949	Section 20
Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E), Section 9 (3) (i), Section 9 (3A) (A) to (C), Section 9(3AA), Section 9(3AB), Section 9(3B) Section 13(2)
The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9 (4), Clause 10, Clause 11, Clause 11A, Clause 11B, Clause 12(8)
Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations 2000	Regulation 10, 61A to 70
Reserve Bank of India Notification No. DBOD.No.BC.No.46&47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and DBOD.No. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011	Pursuant to Section 9 (3AA) and Section 9 (3AB) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 – Fit and Proper criteria for elected Directors on the Boards of the nationalized banks.

सेबी दिनानिर्देश परिपत्र संख्या : सीआईआर/सीएफडी/पॉलिसी सेल/2/2014 दिनांक 17/4/2014	इलैक्ट्रानिक वोटिंग
कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014	खंड 20 इलैक्ट्रानिक माध्यम से वोटिंग
वित्तीय सेवाएं प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार पत्र सं. एफ.सं. 16/83/2013--बीओआई दिनांक 3/9/2013 और अंशकालिक गैर–अधिकारिक निदेशक के चयन हेतु दिनांक 01.06.2011 को पत्र संख्या 16/17/2010 बीओआई दिनांक 13/10/2011 के दिशानिर्देश द्वारा	सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों में अंशकालिक गैर अधिकारिक निदेशकों की नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश

ऊपर उल्लिखित प्रावधानों का सारांश नीचे दिया गया है:

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949

धारा 20 में इसके किसी निदेशक को या उसकी ओर से कई ऋण या अग्रिम मंजूर करने पर कुछेक प्रतिबंधों का उल्लेख है।

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970

- धारा 3 (2ई) में केन्द्र सरकार के भिन्न किसी शेयरधारकों के मतदान अधिकार को सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के 10 प्रतिशत तक सीमित किया गया है।
- धारा 9(3)(i) में ऐसे बैंकों में शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है।
- धारा 9 (3ए) (ए) से (सी) में कुछ योग्यताएं/शर्तें निर्धारित की गई हैं जिनमें विनिर्दिष्ट है कि धारा 9(3)(i) के तहत नामित किए जाने वाले निदेशकों को कुछेक क्षेत्रों का विशेष ज्ञान होना चाहिए।
- धारा 9(3एए) और (3एबी) में निर्धारित है कि कोई भी व्यक्ति तब तक निदेशक के पद पर चुने जाने हेतु पात्र नहीं होगा जब तक कि उसके विगत रिकार्ड, निष्ठा और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचना संख्याः डीबीओडी नं. बीसी. नं. 46 तथा 47/29.39.001/2007–08 दिनांक 1 नवम्बर, 2007 तथा डीबीओडी नं. बीसी. नं. 95/29.39.001/2010–11 दिनांक 23 मई, 2011 के जरिए अधिसूचित किए गए मानदंडों के आधार पर सक्षम और उपयुक्त स्तर का न हो।
- धारा 9 (3बी) में भारतीय रिजर्व बैंक को उक्त अधिनियम की धारा 9(3) (i) के तहत इस प्रकार चुने गए निदेशक को हटाने का अधिकार दिया गया है जो उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) और 9(3एए) की अपेक्षाओं को पूरा न करता हो।
- धारा 13 (2) में तीसरी अनुसूची में दिए गए निष्ठा तथा गोपनीयता की घोषणा के अनुरूप होना चाहिए।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970

- खंड 9(4) में कहा गया है कि कोई भी निर्वाचित निदेशक तीन वर्ष के लिए पद पर रहेगा और पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र होगा परन्तु ऐसा कोई निदेशक लगातार 6 वर्ष से अधिक अवधि के लिए पद पर नहीं रहेगा।
- खंड 10 में निदेशक के लिए कुछेक अयोग्यताएं विनिर्दिष्ट हैं।
- खंड 11 निदेशकों द्वारा पर रिक्त किए जाने से संबंधित है।
- खंड 11 ए ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां अधिनियम की धारा 9(3) (i) के तहत निर्वाचित निदेशक को हटाया जा सकता है और उसके स्थान पर रिक्त पद को भरने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को चुना जा सकता है।
- खंड 11 बी आकस्मिक रिक्तियों को भरने से संबंधित है।
- खंड 12 (8) निदेशकों द्वारा कतिपय व्यवस्थाओं जिनमें उनका हित है, के संबंध में हितों के प्रकटीकरण से संबंधित है।

पंजाब नैशनल बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2000

- विनियम 10 में शेयरों की संयुक्तधारिता के मामले में मतदान अधिकार निश्चित किए गए हैं।
- विनियमन 61ए से 70 निदेशक के पद पर चुने जाने हेतु प्रत्याशी के रूप में किसी व्यक्ति को नामित करने हेतु कुछेक शर्तें और चुनाव आयोजित करने की प्रक्रिया तथा अन्य प्रासंगिक मामलों से संबंधित हैं।

SEBI guidelines – circular no. CIR/CFD/POLICY-CELL/2/2014 dated 17.04.2014	Electronic voting
The Companies (Management & Administration) Rules 2014	Clause 20 – voting through electronic means
Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India letter no. F. No. 16/83/2013 – BOI dated 03.09.2013 and guidelines for selection of part time Non-Official Director vide letter no. 16/17/2010 - BOI dated 13.10.2011 as on 01.06.2011	Guidelines for appointment of part time Non-Official Directors in Public Sector Banks.

THE GIST OF THE ABOVE MENTIONED PROVISIONS IS DESCRIBED HEREIN BELOW:

Banking Regulation Act, 1949

Section 20 places certain restrictions for granting any loan or advance to or on behalf of any of its directors.

Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970

- Section 3 (2E) restricts the voting right of a shareholder other than the Central Government to Ten per cent of the total voting rights of all the shareholders.
- Section 9(3) (i) prescribes the maximum number of directors to be elected by the shareholders.
- Section 9 (3A) (A) to (C) prescribes qualifications and special knowledge in certain fields for the directors to be nominated under Section 9 (3) (i).
- Section 9 (3AA) and (3AB) prescribes that no person shall be eligible to be elected as director unless he/she is a person having "Fit and Proper" status based upon track record, integrity and such other criteria as per Reserve Bank of India Notification Nos.DBOD.No.BC.No.46 & 47/29.39.001/2007-08 dated 1st November, 2007 read with DBOD.No.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011.
- Section 9(3B) deals with the right of Reserve Bank of India to remove a director so elected under Section 9(3) (i) of the aforesaid Act, who does not fulfil the requirements of Section 9 (3A) and Section 9(3AA) of the said Act.
- Section 13 (2) deals with the obligation as to declaration of Fidelity and Secrecy in the form set out in the Third Schedule.

Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970

- Clause 9(4) provides that an elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election. Provided that no such Director shall hold office for a period exceeding six years.
- Clause 10 specifies certain disqualifications for directors.
- Clause 11 deals with vacation of office by directors.
- Clause 11 A deals with the situation where a director elected under Sec. 9(3) (i) of the Act may be removed and another person in his stead be elected to fill the vacancy.
- Clause 11B deals with casual vacancy.
- Clause 12(8) deals with disclosure of interest by directors, in certain arrangements in which they are interested.

दिशानिर्देश

- परिपत्र संख्या : सीआईआर/सीएफडी/पॉलिसी–सेल/2/2014 दिनांक 17.04.2014 यह अधिकार देता है कि कंपनी प्रबंधन एवं प्रशासन अधिनियम/नियम 2014 के अनुसार ई वोटिंग शेयर होल्डर्स की सामान्य बैठक में पारित होना चाहिए।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014

- खंड 20 इलैक्ट्रानिक माध्यम द्वारा वोटिंग की प्रक्रिया का विश्लेषण करता है।

वैबसाइट में अधिनियम/योजना/विनियमन/अधिसूचना के प्रावधान

- शेयरधारकों की सुविधा के लिये सम्बद्ध विनियमन अधिनियम, अधिनियम, विनियमन, योजना तथा भार.रि. बैंक की अधिसूचना बैंक की वैबसाइट www.pnbindia.in (निवेशक सूचना परिशिष्ट) है और इसे डाउनलोड किया जा सकता है।

उम्मीदवार के लिए योग्यतायें

- उम्मीदवार को अधिनियम की धारा 9(3ए) में यथानिर्धारित योग्यताओं को पूरा करना होगा तथा योजना की धारा 10 में विनिर्दिष्ट अनर्हता वाला न हो तो विनियमन के विनियम 65 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करेगा जिनका विवतरण नीचे दिया गया है।

I. अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसरण में उम्मीदवार जो बैंक का शेयरधारक है एवं अधिनियम की धारा 9(3) (i) के अधीन बैंक का निदेशक बनने का इच्छुक है, के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:

(क) उसे निम्नलिखित मामलों में एक या अधिक का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।

(i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

(ii) बैंकिंग

(iii) सहकारिता

(vi) अर्थशास्त्र

(v) वित्त

(vi) विधि

(vii) लघु उद्योग

(viii) किसी अन्य मामले में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिजर्व बैंक के मतानुसार जो बैंक के लिए उपयोगी हो।

(ख) वह जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो; अथवा

(ग) वह किसानों, कामगारों और शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो।

II. उक्त अधिनियम की धारा 9(3एए) और भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार बैंक का शेयरधारक होने के नाते और बैंक के निदेशक पद के लिए नामांकन करने वाले प्रत्याशी को 'सक्षम एवं उपयुक्त' हैसियत वाला होना चाहिए।

III. इसके अतिरिक्त, निर्वाचित निदेशक को प्रसंविदा विलेख निष्पादित करना होगा और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित वार्षिक घोषणाएं प्रस्तुत करनी होगी।

1. बैंक के निदेशक के रूप में चयन के लिए अनर्हता

अ. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 की धारा 10 के अनुसरण में कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक बनने के लिए अयोग्य होगा :–

(क) यदि वह किसी भी समय कोर्ट द्वारा दिवालिया घोषित हुआ हो, या उसने ऋण अदा न किया हो या लेनदारों के साथ समझौता किया हो, अथवा

(ख) यदि वह विकृत मन का हो या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, अथवा

(ग) यदि वह किसी दंड न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्ध दोषी ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता निहित हो, अथवा

(घ) यदि वह किसी पूर्णकालिक निदेशक, प्रबन्ध निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) एवं (च) के अधीन बैंक के कर्मचारियों में से नामित निदेशक के पद के सिवाय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक

Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000

- Regulation 10 determines the voting rights in the case of joint holding of shares.
- Regulations 61A to 70 prescribes certain conditions for nominating a person as a candidate for election as a Director, the procedure for conducting an election and deals with other incidental matters.

SEBI Guidelines - circular no. CIR/CFD/POLICY-CELL/2/2014 dated 17.04.2014 mandates that e-voting should be facilitated in General Meetings of shareholders in terms of The Companies (Management and Administration) Rules 2014.

The Companies (Management and Administration) Rules 2014.

Clause 20 of the Rules enumerates the procedure for voting through electronic means

PROVISIONS OF ACTS/SCHEME/REGULATIONS/NOTIFICATIONS IN WEBSITE

- For the convenience of the shareholders, the relevant Regulation Act, the Act, the Regulations, the Scheme as well as RBI Notifications are hosted on the Bank's website www.pnbindia.in – (Investor Info page) which are downloadable.

QUALIFICATION FOR A CANDIDATE

- The candidate shall comply with the qualifications prescribed in Section 9 (3A) of the Act and shall not suffer the disqualifications specified in Clause 10 of the Scheme and shall satisfy the conditions mentioned in Regulation 65 of the Regulations, which are detailed herein.

I. In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as a Director of the Bank under Section 9 (3)(i) of the Act shall:

(A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely :-

(i) agriculture and rural economy,

(ii) banking,

(iii) co-operation,

(iv) economics,

(v) finance,

(vi) law,

(vii) small scale industry.

(viii) any other matter the special knowledge of and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank of India is useful to the Bank.

(B) represent the interest of depositors; or

(C) represent the interest of farmers, workers and artisans.

II. In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notifications a candidate being a shareholder of the Bank and who files nomination to be a Director of the Bank should possess 'Fit & Proper status'.

III. Further, the elected directors should execute the Deed of Covenants and are required to furnish annual declarations, as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

A. In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:-

a) if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

अधिनियम 1955 की धारा की उपधारा(1) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक मे कोई लाभ का पद धारित करता हो और

(आ) भारतीय रिर्जव बैंक की अधिसूचना डीबीओडी. नं. बीसी. नं. 46 तथा 47/29.39.001/2007–08 दिनांक 01.11.2007 तथा डीबीओड़ी. नं. बीसी नं. 95/29.39.001/2010–11 दिनांक 23.05.2011 के अधीन बैंक के निदेशकों की नामांकान समिति द्वारा यदि वह 'सक्षम एवं उपयुक्त हैसियत' वाला न हो।

अंशकालिक गैर–अधिकारिक निदेशकों (एनओडी) के चयन हेतु दिशानिर्देशों का सारः

यदि निदेशक बैंक/एफआई के किसी भी श्रेणी के तहत पहले ही शामिल हैं, तो उस पर किसी भी अन्य बैंक/एफआई के गैर अधिकारिक निदेशक के रूप में मनोनीत करने के लिए विचार नहीं किया जा सकता।

किसी भी व्यक्ति को बैंक/एफआई के बोर्ड में गैर अधिकारिक निदेशक के रूप में फिर से मनोनीत नहीं किया जा सकता जिसने किसी भी श्रेणी के तहत दो कार्यकालों या छः वर्षों जो भी अधिक हो के लिए पूर्व में निदेशक के रूप में सेवाएं दी हों।

बैंक/वित्तीय संस्थान के निदेशक के रूप में मनोनीत के एनओडी पर विचार नहीं किया जाएगा यदि ऐसा निदेशक पहले ही छः वर्षों के लिए, नियमित या बीच–बीच में किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान के बोर्ड में गैर अधिकारिक निदेशक/शेयरधारक निदेशक हैं।

अंशकालिक एनओडी के चयन के लिए सरकार के दिशानिर्देश शेयर धारक निदेशकों के चुनाव हेतु भी लागू होंगे।

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार पत्र संख्या एफ. सं. 16/83/2013–बीओआई दिनांक 3/9/2013 और 1/6/2011 के अनुसार पत्र संख्या 16/17/2010–बीओआई दिनांक 13/10/2011 द्वारा अंशकालिक गैर अधिकारिक निदेशक के चयन हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्ण ब्यौरे।

प्रत्याशियों को शेयरधारकों की सूची

बैंक के शेयरधारकों की सूची, जिसकी कट–ऑफ तिथि 13.02.2015 है, जो कि 'पंजाब नैशनल बैंक," नई दिल्ली/दिल्ली के पक्ष में, देय अधिसूचित बैंक के मांग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश के जरिए रू. 50,000/–(रुपये पच्चास हज़ार केवल) का भुगतान करने पर बिक्री के लिए दिनांक 16.02.2015 से कंपनी सचिव, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, प्रधान कार्यालय 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 से उपलब्ध होगी।

इच्छुक प्रत्याशी शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण भी कर सकते हैं और उससे उद्धरण निकाल सकते हैं।

शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर शेयरधारकों द्वारा निरीक्षण के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, पंजाब नैशनल बैंक, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 में दिनांक 16.02.2015 से 04.03.2015 तक सभी कार्यदिवसों अर्थात् सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक और शनिवार को प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक खुला रहेगा जिससे प्रत्याशी शेयरधारक रजिस्टर के किसी भाग के उद्धरण ले सके या सम्बन्धित भाग को कम्प्यूटर प्रिंट लेने का बैंक से अनुरोध कर सके जिसके लिए उन्हें 5/–रुपये प्रति हजार शब्द या उसके अंश की दर से उसका पूर्व भुगतान करना होगा।

निर्वाचन में भागीदारी

दिनांक 13.02.2015 को (कट–ऑफ तिथि) एनएडीएल/सीडीएसएल/एसटीए द्वारा तैयार लाभग्राही/शेयरधारकों के रजिस्टर में जिन शेयरधारकों के नाम हैं वे निर्वाचन में भाग लेने के हकदार हैं

b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or

d) if he holds any office of profit under any nationalized bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act , 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time director, including the Managing Director and directors nominated under clause (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and.

B If he/she is not found to be 'fit and proper' person, by the Nominations Committee of the Directors of the Bank in terms of RBI Notifications No. DBOD.No.BC.No.46 & 47/ 29.39.001/ 2007-08 dated 01.11.2007 and DBOD.No. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011.

GIST OF GUIDELINES FOR SELECTION OF PART TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR (NOD)

A Director already on the Board of a Bank/FI, under any category, may not be considered for nomination as NOD on any other Bank/FI.

No person may be re-nominated as a NOD on the Board of a Bank/FI on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years, whichever is longer.

An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI if such Director has already been a NOD/shareholder-Director on the Board of any other Bank/FI for six years, whether continuously or intermittently.

Government guidelines for selection of part time NODs shall be applicable for election of Share holder Directors also.

Full details as per Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India letter no. F. No. 16/83/2013 - BOI dated 03.09.2013 and guidelines for selection of part time Non-Official Director vide letter no. 16.17.2010-BO.I dated 13.10.2011 as on 01.06.2011

LIST OF SHAREHOLDERS TO CONTESTANTS

A list of shareholders of the Bank as on 13.02.2015 (cut off date) will be available for sale on and from 16.02.2015 on pre-payment of Rs.50,000/- (Rupees fifty thousand only) by a demand draft/pay order of a Scheduled Bank in favour of "Punjab National Bank" payable at New Delhi/Delhi along with a request addressed to the Company Secretary, Punjab National Bank, Share Department, Finance Division, 5, Sansad Marg, New Delhi 110001, The intending candidates may also inspect the Register of shareholders and take extracts there from.

INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of shareholders will be open for inspection by the shareholders, with the Company Secretary, Punjab National Bank, Share Department, Finance Division, 5, Sansad Marg, New Delhi 110001, on all working days commencing from 16.02.2015 till 04.03.2015 between 3.00 p.m. and 5.00 p.m. on weekdays and Saturdays between 11.00 a.m. and 1.00 p.m. for the purpose of enabling the candidates to take extracts of any part from the Register of Shareholders or request the Bank for computer prints of the relevant portions, on prepayment of an amount to be calculated at the rate of Rs. 5/- for every thousand words or part thereof.

अर्थात् केन्द्र सरकार के अलावा शेयरधारकों के बीच में से निदेशकों के निर्वाचन में नामांकन करने, चुनाव करने और वोट देने के हकदार हैं।

विनियम 68 के अनुसार ऐसा प्रत्येक शेयरधारक जिसे कट ऑफ तिथि अर्थात् 13.02.2015, आम बैठक की तिथि से पूर्व को शेयंरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, मतदान होने पर अपने द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट देने का अधिकारी होगा।

नामांकन :

नामांकन की वैधता

विनियमन के विनियम 65 और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना डीबीओडी. नं.बीसी.नं.46 तथा 47/29.39.001/2010–11 दिनांक 01.11.2007 तथा डीबीओडी.नं.बीसी.नं.95/29.39.001/2010–11 दिनांक 23.05.2011 तथा विभिन्न अधिनियमों के अन्य लागू प्रावधान के अधीन निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु उम्मीदवार का नामांकन वैध होगा किन्तु उपबंध यह है कि :

क) दिनांक 13.02.2015(कट ऑफ तिथि) को पंजाब नैशनल बैंक में कम से कम 100 शेयर (एक सौ शेयर) धारित करता हो और उसके बाद भी अगर वह दिनांक 19.03.2015 तक कम से कम 100 शेयर धारित करता है तो निर्वाचित होता है/होती है।

ख) वह विनियमन अधिनियम, अधिनियम, योजना, विनियमन अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अधीन निदेशक नामांकन की प्राप्ति की अंतिम तारीख यथा 04.03.2015 को निदेशक होने के अयोग्य घोषित.न हुआ हो।

ग) नामांकन लिखित रूप से हो और उस इस अधिनियम के अधीन निदशकों को निर्वाचित करने के लिए हकदार कम से कम 100 शेयरधारकों या उनके द्वारा सम्यक रूप से नियत अटार्नी के हस्ताक्षर हों परन्तु यह कि यदि शेयरधारक कोई. निगमित निकाय हो तो उक्त निगमितं निकाय के निदेशकों के संकल्प द्वारा नामांकन किया जा सकता है और जहां ऐसा किया जाता है, वहां जिस बैठक में यह पारित किया गया हो उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित संकल्प की एक सत्यप्रति बैंक के कम्पनी सचिव, पंजाब नैशनल बैंक, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 के नाम प्रेषित की जाएगी और उक्त प्रति को ऐसी कम्पनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा।

क) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा किसी न्यायाधीश, जिलाधीश, आश्वासन रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का घोषण पत्र नामांकन के साथ संलग्न किया गया है कि उसे नामांकन स्वीकार है और वह निर्वाचन के लिए खड़ा होने का इच्छुक है तथा इस अधिनियम के अधीन या इस योजना या इन विनियमों या सरकारी दिशानिर्देशों के अधीन निदेशक होने के अयोग्य नहीं है।

ख) इस नोटिस के साथ नामांकन फार्म और विनियमन द्वारा यथानिर्धारित घोषणा फार्म और प्रोफार्मा संलग्न है। इन प्रपत्रों सहित संपूर्ण नोटिस बैंक की वैबसाइट :www.pnbindia.in (निवेशक सूचना परिशिष्ट) पर भी उपलब्ध है।

नामांकन फार्मो का प्रस्तुत किया जाना :

ये सभी इस नोटिस के साथ भेजे गये प्रारूपों में 'मोहरबंद लिफाफे में' कंपनी सचिव, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, प्रधान कार्यालय, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001 को सभी दृष्टियों से पूर्ण सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ असाधारण आम बैठक की तारीख से कम से कम 14 दिन पूर्व किसी कार्य दिवस को अर्थात् **दिनांक 04.03.2015 बुधवार को सांय 5.00 बजे अर्थात्** बैंक कार्य समय समाप्त होने से पूर्व पहुंच जाने चाहिए।

PARTICIPATION IN ELECTION

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders/Beneficial owners as furnished by NSDL/CDSL/STA as on 13.02.2015 (cut-off date) shall be entitled to participate, nominate, contest and vote in election of Directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

As per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder as on 13.02.2015 (cut-off date), prior to the date of a general meeting shall have one vote for each share held by him.

NOMINATIONS:

Validity of Nominations

In terms of Regulation 65 of the Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India – DBOD.No.BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and DBOD No. BC No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a director will be valid provided:

A) He/she is a shareholder holding as on 13.02.2015 (Cut-off Date), a minimum of 100 (one hundred) shares in Punjab National Bank and continue to hold a minimum of 100 shares till 19.03.2015 and thereafter if he is elected.

B) As on 04.03.2015 being the last date for receipt of nomination, he/she is not disqualified to be a director under the Regulation Act, the Act, the Scheme, the Regulations or RBI Notifications.

C) The nomination is in writing signed by at least 100 shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a Corporate Body may be made by a resolution of the Directors of the said Corporate Body and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Company Secretary, Punjab National Bank, Share Department, Finance Division, 5, Sansad Marg, New Delhi 110001 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.

D) The nominations by the shareholders (Minimum 100) is accompanied by a declaration by the candidate, as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice, duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or Officer of Reserve Bank of India or any nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election and that he is not disqualified from being a director, either under the Regulation Act or the Act or Scheme or the Regulations or RBI Notification or GOI guidelines.

E) The Nomination Forms and the Declaration Form are as prescribed by the Regulations and as per the Proforma annexed to this notice. The entire notice interalia comprising these Proforma is also available on the Bank's Website: www.pnbindia.in. (Investor Info Page)

Submission of nomination forms

Shareholders desirous of contesting the election of Directors should submit following documents in the formats annexed to this notice, in a SEALED ENVELOPE to the Company Secretary, Punjab National

क. विधिवत् रूप से भरा हुआ घोषणा पत्र

ख. चुनाव लड़ने के पात्र कम से कम 100 शेयरधारकों की ओर से नामांकन

ग. व्यक्तिगत सूचना, घोषणा तथा उसके साथ वचनपत्र जिनके साथ सम्बन्धित दस्तावेज़, प्रमाण पत्र, होंगे जैसे कि व्यक्तिगत परिचय, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव आदि के प्रमाण पत्र इत्यादि!

नामांकनों की जांच और निदेशकों का चुनाव :

(क) नामांकनों की जांच, नामांकनों की प्राप्ति के लिए नियत तिथि के बाद पहले कार्य दिवस 05.03.2015 **बृहस्पतिवार** को की जायेगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया गया तो उसका कारण दर्ज करते हुए उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा।

(ख) नामांकनों की जांच भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अधीन बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा भी की जाएगी।

(ग) यदि निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए केवल तीन या तीन से कम वैध नामांकन हुए तो ऐसे नामांकित उम्मीदवारों को तुरन्त निर्वाचित हुआ समझा जायेगा एवं उनके नाम और पते इस प्रकार निर्वाचित उम्मीदवारों के रूप में प्रकाशित किए जायेंगे। तथापि, ऐसे निर्वाचित उम्मीदवार 21.03.2015 को ही कार्यभार संभालेंगे।

(घ) हो रहे चुनाव के समय, यदि तीन से अधिक वैध नामांकन हैं तो उम्मीदवारों के नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जायेंगे। चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को चुना हुआ समझा जायेगा और उनके नाम बैठक में अध्यक्ष द्वारा घोषित किए जायेंगे और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए जायेंगे। वे दिनांक 21.03.2015 को ही कार्यभार संभालेंगे।

(ड) यदि कोई विवाद होता है तो उसका निपटान विनियमन के विनियम 67 के अनुसार किया जायेगा।

नामांकन वापिस लेना

यदि कोई प्रत्याशी अपना नामांकन वापिस लेना चाहता है तो वे ऐसा 07.03.2015 को सांय 2.00 बजे तक बैंक के बंद होने से पूर्व कर सकता है।

निदेशकों का हित

यदि बैंक के निदेशक चुनाव में खड़े होते हैं। तो कारोबार के उपर्युक्त मद में उनकी संबद्धता अथवा हित समझा जायेगा।

मद सं. 2 इक्विटी पूंजी बढ़ाना

बैंक की वर्तमान इक्विटी पूंजी रू.362.07 करोड़ है और 31मार्च, 2014 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.52 प्रतिशत है कारोबार विस्तार और बेसल III मानदंडों तथा परिणामी पूंजी प्रभार के क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता है ।

(i) आपके निदेशकों द्वारा अनुमानित वृद्धि के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि इक्विटी पूंजी जुटायी जाए और वर्धित पूंजी का उपयोग बैंक के सामान्य कारोबारी उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

(ii) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम,1970 की धारा 3(2बी)(सी) की शर्तानुसार बैंक, अपनी चुकता पूंजी को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(iii) सूचीकरण करार के खंड 23 के उपखंड (ए) में प्रावधान है कि बैंक द्वारा जब कभी कोई निर्गम या प्रस्ताव दिया जा रहा

Bank, Share Department, Finance Division, 5, Sansad Marg, New Delhi 110001 together with the connected documents, complete in all respects, on a working day at least 14 days before the date of the meeting, i.e., on or before closing hours of the Bank at 5.00 pm on Wednesday, the 04th March, 2015.

a) Duly filled in Declaration Form;
b) Nominations from minimum of 100 shareholders entitled to participate in the elections;
c) Personal Information, Declaration and Undertaking together with the connected documents, testimonials, viz., Bio Data, Certificates of Educational qualification, experience, etc.

SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS

(a) Nominations shall be scrutinized by the Bank on Thursday, the 05th March 2015 the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons there for.

(b) Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination Committee of the Board in terms of the RBI Notifications.

(c) If there are three or less than three valid nominations for the three vacancies to be filled by the election, the candidates so nominated shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published as so elected. However, the deemed elected candidates shall assume office only on 21.03.2015.

(d) In the event of an election being held, if the valid nominations are more than three, the names of the candidates shall be published in the news papers. The candidates polling the majority of votes at the election will be deemed to have been elected and their names will be declared by the Chairman in the meeting after receipt of scrutinizer's report and will also be published in newspapers. They will assume office on 21.03.2015.

(e) If there is any dispute the same shall be settled as per Regulation 67 of the Regulations.

Withdrawal of Candidature

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank i.e. on or before 2.00 pm on 07.03.2015.

INTEREST OF DIRECTORS

Directors of Bank may be deemed to be concerned or interested in the aforementioned item of business in case they contest the election.

Item 2 – Raising of Equity Capital

The current Equity Capital of the Bank is Rs. 362.07 Crore and the Capital Adequacy Ratio of the Bank as on March 31, 2014 is 11.52 %. In view of business expansion and the implementation of BASEL III norms and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.

(i) Based on the growth estimates your Directors have decided to raise the equity capital and the enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.

हो, तो मौजूदा शेयरधारकों को इसका प्रस्ताव यथाअनुपात आधार पर दिया जाना चाहिए जब तक कि शेयरधारक आम बैठक में अन्य कोई निर्णय न लें कथित संकल्प, यदि पारित होता है, बैंक की ओर से बोर्ड को अनुमति होगी कि वह मौजूदा शेयरधारकों को यथानुपात आधार से भिन्न प्रतिभूतियां जारी करे और आबंटित करें।

(iv) संकल्प, बैंक को अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ), कर्मचारी स्टाक खरीद योजना (ईएसपीएस) के माध्यम से इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों, के प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन को सृजित करने के लिए सक्षम बनाता है। उक्त निर्गम की पूंजी से बैंक अपनी पूंजी पर्याप्ता अपेक्षाओं को मजबूत करने में सक्षम होगा जैसा कि भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट किया गया है।

(v) इसके अतिरिक्त संकल्प निदेशकमंडल को आईसीडीआर विनियमन द्वारा परिभाषित पात्र संस्थागत खरीदारों के साथ पात्र संस्थागत प्लेसमेंट आरंभ करने की शक्ति प्रदान करता है। निदेशकमंडल अपने विवेकानुसार शेयरधारकों से बिना नये अनुमोदन के बैंक के लिए निधियां जुटाने हेतु आईसीडीआर विनियमन के अध्याय 8 के अंतर्गत निर्धारित इस प्रक्रिया को चुन सकते हैं ।

(vi) प्रस्ताव के लिए विस्तृत शर्तों एवं निबंधनों को मौजूदा बाजार की स्थितियों और अन्य नियामक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सलाहकारों, लीड मैनेजरों और हामीदारों और ऐसे अन्य प्राधिकारी या प्राधिकारियों, जैसा अपेक्षित हो के साथ परामर्श करके निर्धारित किया जाएगा।

(vii) क्योंकि एफपीओ/ईएसपीएफ आदि के माध्यम से प्रस्ताव का मूल्य निर्धारण परवर्ती स्थिति को छोड़कर नहीं किया जा सकता है, यह संभव नहीं है कि जारी किये जाने वाले शेयरों का मूल्य बताया जाए। तथापि यह आईसीडीआर विनियमनों के प्रावधानों, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 और पीएनबी (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2000 जैसा भी समय समय पर संशोधित किया गया हो या कोई अन्य दिशानिर्देश/विनियम/अनुमोदन जैसा लागू या अपेक्षित हो के अनुसरण में होगा ।

(viii) उक्त कारणों के लिए, एक समर्थकारी संकल्प पारित किया जाना प्रस्तावित है ताकि मामले को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड को पर्याप्त लचीलापन और विवेकाधिकार दिया जा सके ।

(ix) आबंटित इक्विटी शेयर, बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के सभी संदर्भों में समान रैंक के होंगे ।

इस उद्देश्य के लिए बैंक से अपेक्षित है कि विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों से अनुमति प्राप्त करें। अतः उक्त प्रस्ताव के लिए आपकी अनुमति अपेक्षित है।

निदेशक मंडल नोटिस में निर्दिष्ट विशेष संकल्पों को पारित करने की अनुशंसा करता है ।

बैंक का कोई भी निदेशक उक्त निर्दिष्ट संकल्प(पों) में इच्छुक या संबद्ध नहीं है, उसकी शेयरधारिता, यदि बैंक में कोई है, को छोड़कर।

टिप्पणियां :

1. उपर्युक्त बैठक का विस्तृत नोटिस जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ नामांकन फार्म के प्रारूप, घोषणा, प्रॉक्सी फार्म तथा उपस्थिति पर्ची व प्रवेश पत्र आदि बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in (निवेशक सूचना परिशिष्ट) से डाउनलोड भी करने के लिए उपलब्ध है।
2. बैठक में वैध उपस्थिति पर्ची व प्रवेश–पत्र व मतदाता पर्ची–पास तथा सही पहचान के साथ ही प्रवेश दिया जायेगा।

(ii) The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, will obtain requisite approval of Government of India, Ministry of Finance and Reserve Bank of India for increasing the paid up capital of the Bank.

(iii) Sub-Clause (a) of Clause 23 of Listing Agreement provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

(iv) The Resolution seeks to enable the Bank to create, offer, issue and allot equity shares/securities by way of Follow on Public offer (FPO), Employee Stock Purchase Scheme (ESPS). The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

(v) The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake qualified institutional placement (QIP) with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

(vi) The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

(vii) As the pricing of the offering by way of FPO/ ESPS etc cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the PNB (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.

(viii) For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

(ix) The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolutions as mentioned in the notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any in the Bank.

3. बैठक में उपस्थित होने और वोट देने के पात्र शेयरधारक अपने बदले किसी प्रॉक्सी को बैठक में उपस्थित होने और वोट देने के लिए नियुक्त करने का भी पात्र है तथा उस प्रॉक्सी के लिए बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

4. कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी निगमित निकाय जो बैंक के शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में असाधारण बैठक में तब तक न तो उपस्थित हो सकता है और न ही वोट दे सकता है जब तक जिस बैठक में उन्हें विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने का निर्णय लिया गया हो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित उस निर्णय की सत्यापित प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय को न मिल जाये।

5. **चुनाव प्रक्रिया**

इलैक्ट्रानिक माध्यम द्वारा मतदान

I कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के साथ पठित सूचीकरण करार के खंड 35बी के प्रावधानों की अनुपालना में, बैंक द्वारा शेयरधारकों को सैंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (भारत) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा अपनी वैबसाईट www.evotingindia.com पर उपलब्ध कराये गये ई–वोटिंग के माध्यम से ईजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा दे रहा है। शेयरधारकों की ई–वोटिंग के लिए पात्रता निर्धारित करने की कट–आफ तिथि 13.02.2015 है।

II ई–वोटिंग के लिए अनुदेश निम्नवत् है :

(i) ई–वोटिंग की अवधि 12.03.2015 (प्रातः 9.00 बजे) शुरू होगी और 14.03.2015 (सायं 6.00 बजे) तक समाप्त हो जाएगी। इस अवधि में कट–आफ तिथि 13.02.2015 के अनुसार बैंक के शेयरधारक चाहे वह भौतिक रूप में शेयरधारित करते हों या डिमेटेरियालाइज्ड रूप में अपना वोट इलेक्ट्रानिक रूप में डाल सकते हैं। ई–वोटिंग के बाद सीडीएसएल द्वारा वोटिंग माडयूल हटा दिया जाएगा। शेयरधारक द्वारा एक बार संकल्प पर मतदान करने के पश्चात् शेयरधारक को इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ii) शेयर धारक, ई–वोटिंग के लिए वैबसाईट www.evotingindia.com पर लॉगिन करेगा ।

(iii) "Shareholders" टैब पर क्लिक करें।

(iv) अब अपना यूजरआईडी दर्ज करें :

क) सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों का लाभार्थी आईडी

ख) एनएसडीएल के लिए : 8 अंकों की ग्राहक आईडी द्वारा अनुपालित 8 अक्षरों की डीपीआईडी

ग) भौतिक रूप में शेयरधारिता करने वाले सदस्यों को कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नं. दर्ज करना चाहिए।

(v) प्रदर्शित इमेज सत्यापन दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें।

(vi) यदि आप डीमैट रूप में शेयर धारित करते हैं और www.evotingindia.com पर लॉगिन किया है और किसी कंपनी के लिए पूर्व में वोट किया है, तब अपना मौजूदा पासवर्ड उपयोग में लाए ।

(vii) यदि आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो नीचे दिए गए चरणों की अनुपालना करें।

NOTES:

1. Detailed notices of the aforesaid meeting containing inter-alia, formats of Nomination Declaration, Proxy form and Attendance Slip cum Entry Pass etc are also available for downloa from the website of the Bank viz. www.pnbindia.in (Investors' Info Page)
2. Entry to the venue will be permitted only on the basis of valid attendance slip cum entry pass cu ballot paper pass with proper identification.
3. A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.
4. No person shall be entitled to attend or vote at the Extra-ordinary General Meeting as a duly authorized representative of any body-corporate, which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank.

5. Voting Process

VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

I. In compliance with provisions of Clause 35 B of the Listing Agreement read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Bank is providing the shareholders facility of e-voting at the EGM through e-voting platform provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The cut-off date for determining the eligibility of shareholders to exercise e-voting is 13.02.2015.

II. The instructions for e-voting are as under:

(i) The voting period begins on 12.03.2015 (9:00 am) and ends on 14.03.2015 (6:00 pm). During this period shareholders' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 13.02.2015, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com

(iii) Click on "Shareholders" tab.

(iv) Now Enter your User ID

   a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
   b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
   c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.

(v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.

(vii) If you are a first time user follow the steps given below:

	डीमैट रूप और भौतिक रूप में शेयरधारण करने वाले सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया अपना 10 अंकों का एल्फा न्यूमेरिक पैन दर्ज करें (डीमैट शेयरधारक और भौतिक शेयरधारक दोनों के लिए लागू) ● सदस्य जिंहोंने कंपनी/डिपाजिटरी सहभागी के साथ अपना पैन अद्यतन नहीं किया है से अनुरोध है कि पैन फील्ड में अपने नाम के पहले दो अक्षरों और क्रम संख्या के आठ अंकों का उपयोग करें। ● यदि क्रम संख्या 8 अंकों से कम है तो कैपिटल लैटर्स में नाम के पहले दो अक्षरों के बाद संख्या के पहले लागू संख्या 0 दर्ज करें। उदाहरण स्वरूप : यदि क्रम संख्या 1 के साथ आपका नाम रमेश कुमार है तो पैन फील्ड में RA00000001 दर्ज करें।
जन्मतिथि	अपने डीमैट खाते या कथित खाते या फोलियो के लिए कंपनी रिकार्ड में जन्मतिथि दिन/माह/वर्ष प्रारुप में दर्ज करें।
लाभांश ब्यौरा दर्ज करें।	अपने डीमैट खाते या कथित खाते या फोलियो के लिए कंपनी रिकार्ड में दर्ज लाभांश बैंक ब्यौरा दर्ज करें। ● कृपया लॉगिन करने के लिए जन्म तिथि या लाभांश बैंक ब्यौरा दर्ज करें। यदि ब्यौरा कंपनी या डिपॉजिटरी के साथ दर्ज नहीं है, कृपया डिविडेंड बैंक डिटेल्स फील्ड में सदस्य आईडी/फोलिया संख्या दर्ज करें।

(viii) इन ब्यौरों को उचित प्रकार से दर्ज करने के बाद, "SUBMIT" टैब पर क्लिक करें ।

(ix) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य सीधे कंपनी सलेक्शन स्क्रीन पर जायेंगे तथापि डीमैट रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य 'पासवर्ड क्रिएशन' विकल्प में जायेंगे जिसमें उनसे नए पासवर्ड फील्ड में अपना लॉगिन पासवर्ड अनिवार्य रूप से दर्ज करना अपेक्षित है। कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का उपयोग किसी अन्य कंपनी के संकल्पों के लिए वोटिंग हेतु डीमैट धारकों द्वारा किया जाना है, जिस पर वे वोटिंग के लिए पात्र हैं बशर्ते कंपनी सीडीएसएल प्लेटफार्म के माध्यम से ई–वोटिंग चुनें। यह दृढतापूर्वक सुझाव दिया जाता है कि किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने में सावधानी बरतें।.

(x) भौतिक रूप मे शेयरधारण करने वाले सदस्यों के लिए, ब्यौरे का उपयोग इस नोटिस में दिए गए संकल्प पर ई–वोटिंग के लिए किया जा सकता है ।

(xi) पंजाब नैशनल बैंक के लिए "EVSN" पर क्लिक करें जिसका चयन आप वोट करने हेतु करना चाहते हैं।

(xii) वोटिंग पेज पर, आपको "RESOLUTION DESCRIPTION" दिखेगा और इसके विरूद्ध वोटिंग के लिए "YES/NO" विकल्प दिखेगा। ऐच्छिक विकल्प 'YES/NO' चुनें। विकल्प 'YES' का तात्पर्य है कि आप संकल्प के समर्थन में है और विकल्प NO का तात्पर्य है कि आप संकल्प के विरूद्ध है ।

(xiii) यदि आप संपूर्ण संकल्प ब्यौरा देखना चाहते हैं तो "RESOLUTION FILE LINK" पर क्लिक करें ।

(xiv) संकल्प चयन के पश्चात् आपने उस पर वोट करने का निर्णय लिया, SUBMIT" पर क्लिक करें। पुष्टि बाक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपना वोट सुनिश्चित करना चाहते हैं, OK पर क्लिक करें लेकिन वोट बदलने के लिए CANCEL पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें ।

(xv) एक बार आपने संकल्प पर अपना वोट CONFIRM कर दिया तो आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।

(xvi) आप वोटिंग पेज पर Click here to print विकल्प पर क्लिक करके स्वयं द्वारा की गयी वोटिंग का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Members who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field. • In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
DOB	Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the company records for the said demat account or folio in dd/mm/yyyy format.
Dividend Bank Details	Enter the Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the Bank records for the said demat account or folio. • Please enter the DOB or Dividend Bank Details in order to login. If the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field.

(viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(ix) Members holding shares in physical form will then reach directly the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(xi) Click on the EVSN for Punjab National Bank on which you choose to vote.

(xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvi) You can also take out print of the voting done by you by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xvii) If Demat account holder has forgotten the changed password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xvii) यदि डीमैट खाताधारक परिवर्तित पासवर्ड भूल गया हो तब यूजर आईडी और इमेज सत्यापन कोड दर्ज करें और FORGOT PASSWORD पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा तैयार किया गया ब्यौरा दर्ज करें ।

(xviii) गैर–वैयक्तिक शेयरधारकों एवं कस्टोडियन्स के लिए नोट :

- गैर–वैयक्तिक शेयरधारक (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) और कस्टोडियन से अपेक्षित है कि https://www.evotingindia.com पर लॉगिन करें और स्वयं को कारपोरेट्स के रूप में पंजीकृत करें।
- उपक्रम के स्टाम्प और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फार्म की स्कैन कापी helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल करना चाहिए।
- लॉगिन ब्यौरा प्राप्त होने के बाद कम्प्लाएंस यूजर द्वारा उपयोग की जाने वाली एडमिन लागिन और पासवर्ड सृजित करना चाहिए। कम्प्लाएंस यूजर खाता (तों) जिसके लिए वे वोट करने के इच्छुक हैं को लिंक करने में सक्षम होगा।
- खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल की जानी चाहिए और खातों के अनुमोदन पर वे अपना वोट देने के लिए सक्षम होंगें।
- उन्हें बोर्ड संकल्प और पावर आफ एटार्नी (पीओए) की स्कैन प्रति अपलोड करनी चाहिए जिसे उन्होंने कस्टोडियन के पक्ष में जारी किया है, यदि कोई है, इसे सत्यापित करने के लिए संवीक्षक हेतु सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए।

ई–वोटिंग से संबंधित किसी पूछताछ या मामले के लिए, आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) और help section के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध ई–वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या helpdesk.evotingindia.com पर मेल लिख सकते हैं।

(iii) यदि आप सीडीएसएल के साथ ई–वोटिंग के लिए पहले ही पंजीकृत हैं तब आप मतदान के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड/पिन का उपयोग कर सकते हैं।

(iv) आप फोलियो के यूजर प्रोफाइल में अपना मोबाइल नं. और ईमेल आईडी भी अद्यतन कर सकते हैं जिसका उपयोग भविष्य में किये जाने वाले पत्राचारों के लिए किया जा सकता है ।

(v) ई–वोटिंग की अवधि 12.03.2015 (प्रातः 9.00 बजे) को शुरू होगी और 14.03.2015 (सांय 6.00 बजे) को समाप्त हो जाएगी। इस अवधि में कट–आफ तिथि के अनुसार बैंक के शेयर धारक चाहे वह भौतिक रूप में शेयर धारित करते हों या डिमेटेरियालाइज्ड रूप में अपना वोट इलेक्ट्रानिक रूप में डाल सकते हैं। ई–वोटिंग के बाद सीडीएसएल द्वारा ई–वोटिंग माडयूल हटा दिया जाएगा। शेयरधारक द्वारा एक बार संकल्प पर मतदान करने के पश्चात शेयरधारक को इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(vii) शेयरधारक वोटिंग का केवल एक मोड अर्थात् या तो ईजीएम में उपस्थित होकर भौतिक रूप में या ई–वोटिंग का विकल्प चुन सकता है। यदि कोई शेयरधारक ई–वोटिंग का विकल्प चुनता है तो वह ईजीएम में भौतिक रूप में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा।

(vii) शेयरधारक ईजीएम में संपादित किये जाने वाले प्रत्येक बिजनेस के लिए अपना वोट अलग से दे सकते हैं। शेयरधारक अपना वोट कुछ संकल्पों के पक्ष/विपक्ष में दे सकते हैं और या कुछ संकल्पों के पक्ष/विपक्ष में नहीं दे सकते हैं। तीन शेयरधारक निदेशकों के चुनाव के मामले में, वोट तीन से अधिक निदेशकों के लिए नहीं दिया जा सकता अन्यथा वोट अवैध माना जाएगा ।

(viii) सुश्री आशु गुप्ता, मै. आशु गुप्ता एंड कंपनी (ई–मेल आईडी agc.scrutinizer@gmail.com) के कार्यरत कंपनी सचिव (सदस्यता सं. एफ4123, सीपी नं. 6646) के रूप में कार्यरत, को बैंक द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई–वोटिंग प्रक्रिया की संवीक्षा करने लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

(ix) संवीक्षक, ई–वोटिंग वोटिंग के निष्कर्ष से (3) कार्य दिवसों के अंदर कम से कम दो (2) साक्ष्यों की उपस्थिति में जो बैंक के नियोजन में न हो, वोट अनब्लॉक करेगा और बैठक के अध्यक्ष को पक्ष या विपक्ष में डाले गये वोट की यदि कोई हो, संवीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(x) संवीक्षक रिपोर्ट के साथ परिणामों की घोषणा बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in पर की जाएगी और सीडीएसएल की वेबसाइट पर बैंक की ईजीएम में संकल्प पारित होने के दो दिनों के भीतर उपलब्ध करा दी जायेगी और स्टॉक एक्सचेंज को सूचित कर दिया जाएगा।

(xviii) Note for Non-Individual Shareholders & Custodians:

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to https://www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a compliance user should be created using the admin log-in & password. The compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- They should upload a scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com

III. If you are already registered with CDSL for e-voting earlier, then you can use your existing user ID and password/PIN for casting your vote.

IV. You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).

V. The e-voting period commences on 12.03.2015 (9:00 am) and ends on 14.03.2015 (6:00 pm). During this period, shareholders' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

VI. Shareholders can opt for only one mode of voting, i.e. either physically by attending EGM or e-voting. If any shareholder opts for e-voting, he will not be eligible to vote physically in EGM.

VII. Shareholders may cast their votes separately for each business to be transacted in the EGM. A shareholder may cast his/her vote in favour/against of some Resolution and/or may not cast in favour/against some Resolution. In case of election of three Shareholder Directors, vote be casted for not more than three Directors otherwise the votes casted shall be treated as invalid.

VIII. Ms. Ashu Gupta, Practising Company Secretary (Membership No. F4123, CP No. 6646) of M/s Ashu Gupta & Co. (email ID – agc.scrutinizer@gmail.com) has been appointed as the Scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

IX. The Scrutinizer shall within a period not exceeding three (3) working days from the conclusion of the e-voting period unblock the votes in the presence of at least two (2) witnesses not in the employment of the Bank and submit Scrutinizer's Report of the votes cast in favour or against, if any, to the Chairman of the Meeting.

X. The Results along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.pnbindia.in and on the website of CDSL within two (2) days from the EGM of the Bank and communicated to the Stock Exchanges.

उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने अपना ई–वोट नहीं किया है उनके लिए दिनांक 19.03.2015 (ईजीएम तिथि) को चुनाव प्रक्रिया

- प्रस्तावित संकल्पों के लिए वोटिंग गुप्त मतदान द्वारा की जायेगी।
- इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा घोषणा करने के तुंरत बाद मतदान शुरू होगा और 1.00 बजे तक जारी रहेगा।
- पंजीकरण के समय जारी मत पत्र पास के अभ्यर्पण पर शेयर धारकों/प्रॉक्सी धारकों/अधिकृत प्रतिनिधियों को इस उद्देश्य से स्थापित काउंटरों पर मत पत्र जारी किए जाएंगे।
- शेयर धारक मत पत्र में दिये गये तीनों उम्मीदवारों में से अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने बड़े स्टाम्प (x) लगाकर अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है और उन्हें मत पत्र पेटिका में डाल सकता है।
- इसके पश्चात मतगणना की जायेगी और संवीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् अध्यक्ष द्वारा परिणामों की घोषणा की जायेगी।
- निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया बैंक द्वारा नियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दो संवीक्षकों की सहायता से जिसमें एक शेयरधारक संवीक्षक शामिल है, केन्द्र सरकार द्वारा नामित जो प्रेक्षक के रूप में कार्य करेगा, की देखरेख में की जायेगी।

6 प्रॉक्सीफार्म/प्राधिकृत प्रतिनिधि पत्र तभी प्रभावी होगा यदि वह बैंक के **कंपनी सचिव, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग प्रधान कार्यालय 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001** में बैठक से 4 दिन पहले तक अर्थात् शनिवार 14 मार्च, 2015 को सांय 2.00 बजे तक अर्थात् दिन की समाप्ति अथवा उससे पूर्व प्राप्त हो जाये।

7. **उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास सह बैलेट पेपर पास**

शेयर धारकों की सुविधा के लिए इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास सह मतदान पर्ची–पास संलग्न किया जा रहा है। शेयरधरकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक के स्थल पर जमा करें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास पर प्रॉक्सी अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि यथा स्थिति लिखें। मतदान के समय बैलेट पेपर प्राप्त करने के लिए बैलेट पेपर पास के हिस्से को जमा करना होगा।

8. इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा परन्तु ऐसा प्रॉक्सी प्रदाता की ओर से बैठक में भाग ले सकता है और मतदान कर सकता है।

9. शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक में कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बांटे जायेंगे।

10. वोटिंक अधिकार

- अधिनियम की धारा 3 उपधारा (2ई) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अलावा तत्स्थानी न्यू बैंक (Corresponding New Bank) का कोई भी शेयरधारक अपने पास धारित शेयरों के संबंध में बैंक के कुल शेयरधारकों के 10% से अधिक के अपने शेयरों के वोटिंग अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता/सकती है।
- विनियमन के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम में हो तो रजिस्टर में जिस व्यक्ति का नाम पहले होगा, उसे वोटिंग के सम्बन्ध में उस शेयर का एक मात्र धारक माना जायेगा।

उपर्युक्त के अध्यधीन, विनियम 68 के अनुसार ऐसा प्रत्येक शेयरधारक जिसे कट–ऑफ तिथि अर्थात् 13.02.2015 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, हाथ उठा करके केवल एक वोट देने का अधिकारी होगा और मतदान होने पर अपने द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट देने का अधिकारी होगा।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते **पंजाब नैशनल बैंक**
Gauri Shankar
(गौरी शंकर)
कार्यपालक निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02.02.2015

Poll Process on 19.03.2015 (EGM date) for those who have not cast their e-vote.

- The voting for the proposed resolutions will be by Poll through Secret Ballot.
- The polling will commence immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman and continue up to 1.00 p.m.
- Ballot Papers shall be issued at the Counters set up for this purpose to the shareholders / proxy holders / authorized representatives on surrender of Ballot Paper Pass issued at the time of registration.
- Shareholders may exercise their right by affixing a rubber stamp (X) against the names of three candidates of their choice in the Ballot Paper and deposit them in the Ballot Box (es).
- The Counting of votes would be taken up thereafter and the Results would be declared by the Chairman after receipt of scrutinizer's report.
- The entire process of election would be conducted by a Chief Returning Officer appointed by the Bank, with assistance of two scrutinizers, including one shareholder scrutinizer, would be overseen by the Central Government Nominee, who will act as an Observer.

6. The Proxy Form/ Authorized Representative Letter, in order to be effective, must be received by **the Company Secretary, Punjab National Bank, Share Department, Finance Division, Head Office, 5, Sansad Marg, New Delhi 110 001,** not later than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e. 2.00 p.m. on Saturday, the 14th March, 2015.

7. **ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS- CUM-BALLOT PAPER PASS**

   For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum-Ballot Paper Pass is annexed to this Notice. Shareholders/Proxy holders / Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy/ Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be. The portion of Ballot Paper Pass shall be surrendered to obtain Ballot Paper at the time of Poll.

8. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting but such proxy can attend & vote on behalf of the grantor.

9. Shareholders may kindly note that no gifts / gift coupon will be distributed at the meeting.

10. **VOTING RIGHTS**

   - In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of Ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
   - As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting shall be deemed to be the sole holder thereof.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on the Cut-off Date i.e. 13.02.2015 shall have one vote for each share held by him/her.

By order of the Board of Directors
for **PUNJAB NATIONAL BANK**

Gauri Shankar

(Gauri Shankar)
Executive Director

Place: NEW DELHI
Date: 02.02.2015

पंजाब नैशनल बैंक

प्रधान कार्यालय : 7, भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110 607

घोषणा

(उम्मीदवार द्वारा)

(विनियमन का विनियम 65 देखें)

मैं..सुपुत्र / सुपुत्री / पत्नी..

श्री / श्रीमती..निवासी..

एतद्द्वारा पुष्टि करता / करती हूं कि :

क) 13 फरवरी 2015 शुक्रवार अर्थात् चुनाव में भाग लेने के लिए कट ऑफ तिथि को मैं बैंक का / की शेयरधारक हूं और मेरी शेयरधारिता. ....इक्विटी शेयरों की है, और

ख) मुझे (i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारिता (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग, अथवा.......................................की विशेष जानकारी अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त है (भारतीय रिजर्व बैंक के विचार से जिस विषय का विशेष ज्ञान अथवा / और व्यावहारिक अनुभव बैंक के लिए लाभदायक होगा) अथवा मैं, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा 3ए के अनुसरण में जमाकर्ताओं और / अथवा कृषकों, कर्मकारों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता हूं और इसके प्रमाण में संबंधित प्रमाणपत्रों को संलग्न कर रहा हूं; और

ग) मैं...नामांकन स्वीकार करता / करती हूं; और

घ) मैं पंजाब नैशनल बैंक के निदेशक का चुनाव लड़ने का इच्छुक हूं, और

ड.) मैं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 और पंजाब नैशनल बैंक (शेयर व बैठकें) विनियमन, 2000, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 तथा 47 / 29–39.00 / 2007–08 दिनांक 1.11.2007 तथा सं. डीबीओडी. बीसी. सं. 29.29.001 दिनांक 23.5.2011, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 16 / 83 / 2013–बीओआई दिनांक 03.09.2013 तथा 01.06.2011 के अनुसार पत्र संख्या 16 / 17 / 2010–बीओ.1 दिनांक 13.10.2011 के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत बैंक का / की निदेशक होने के अयोग्य नहीं हूं और

च) मैं कोई लाभ का पद धारित नहीं करता हूं या न ही किसी राष्ट्रीयकृत अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी अनुषंगी बैंक का / की कर्मचारी हूं, और

PUNJAB NATIONAL BANK
Head Office: 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi 110607

DECLARATION

(By the Candidate)
(Refer Regulation 65 of the Regulations)

I, ______________________________ son/daughter/wife of Shri.____________________ ____________________, a resident of ____________________________________ ________________

hereby confirm that

a) I am a shareholder holding __________ equity shares of Bank, as on Friday, the 13th February, 2015, i.e. the cut off date for participating in the elections; and

b) I have special knowledge or practical experience* in (i) Agriculture and Rural Economy, (ii) Banking, (iii) Co-operation, (iv) Economics, (v) Finance, (vi) Law, (vii) Small Scale Industry or ____________ __________________________ (special knowledge or practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank) or I represent the interest of Depositors or Farmers, Workers and Artisans, in terms of sub section 3A of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and as an evidence thereof I submit herewith the relevant testimonials; and

c) I accept the nominations numbered from _________ to _________, and

d) I am willing to stand for the election as Director of Punjab National Bank, and

e) I am not disqualified from being a Director of the Bank under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, RBI Notification – DBOD No. BC. No.46 & 47/29-39.001 / 2007-08 dated 1.11.2007 and DBOD NO. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.5.2011, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India letter no. F. No. 16/83/2013 – BOI dated 03.09.2013 and guidelines for selection of part time Non-Official Director vide letter no. 16/17/2010-Bo.1dt 13.10.2011 as on 01.06.2011.

f) I neither hold any office of profit nor I am an employee of any nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 and

छ) मैं अपना व्यक्तिगत विवरण संलग्न कर रहा/रही हूं जो मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है और

ज) मैं इस घोषणा के बाद होने वाले परिवर्तन से, जो इससे पहले दी गई सूचना से संबंधित हों और बैंक में निदेशक के पद पर मेरे चयन हेतु प्रसंविदा विलेख के निष्पादन के लिए अपेक्षित हों, यथासंभव शीघ्र बैंक को अवगत करवाने का वचन देता/देती हूं।

हस्ताक्षर	
नाम	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी–सीएलआईडी	
स्थान :	
दिनांक :	

उपर्युक्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए।

मोहर सहित हस्ताक्षर तथा...

प्रतिहस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम...

नोट–घोषणा पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, आश्वासन संबंधी रजिस्ट्रार अथवा उप–रजिस्ट्रार अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक या पंजाब नैशनल बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष मोहर सहित होने चाहिए।

*जो लागू न हो उसे काट दें।

g) I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief is true and complete and

h) I undertake to keep the Bank informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.

Signature	
Name	
Number of Shares	
Regd. Folio/DPID-CLID	
Place	
Date	

The above declaration was signed before me

Signature with Seal and_______________
Name of the attesting official____________

Note: The declaration must be signed by the Candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an Officer of Reserve Bank of India or Punjab National Bank or any other Nationalised Bank.

* Delete whichever is not applicable

पंजाब नैशनल बैंक

प्रधान कार्यालय : 7, भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110 607

नामाकंन फार्म

(शेयरधारक द्वारा) क्रम सं.

(विनियमन का विनियम 65 (डी) देखें)

अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक / कार्यकारी निदेशक
पंजाब नैशनल बैंक
7, भीखाएजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली – 110 607

प्रिय महोदय,

निदेशक के चुनाव हेतु नामांकन

आपके दिनांक 02.02.2015 की सूचना के संदर्भ में, मैं...पंजाब नैशनल बैंक का / की शेयरधारक, दिनांक 13 फरवरी 2015 को 2 / –रुपये प्रत्येक के..................................इक्विटी शेयरों का धारक एतदद्वारा श्री / श्रीमती..पुत्र / पुत्री / पत्नी...श्री / श्रीमती... निवासी..को 19.03.2015 को होने वाली शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के प्रावधान के अनुसार शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने हेतु पंजाब नैशनल बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए एतदद्वारा नामांकित करता / करती हूं।

हस्ताक्षर	
नाम	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो / डीपीआइडी–सीएलआईडी	
स्थान	
दिनांक	

टिप्पणियां

1. निगमित निकाय द्वारा नामांकन किए जाने की स्थिति में, नामांकन प्रपत्र के साथ निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प जिस पर उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर हों, जिसमें इसे पारित किया गया, की सत्यापित प्रति संलग्न की जाए।
2. प्रत्याशी को नामांकित करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षरों से मिलते हों।
3. यदि उपर्युक्त कालमों में से किसी को खाली छोड़ा गया या विवरण गलत पाया गया तो नामांकन अस्वीकार किया जा सकता है।

Annexure –2

PUNJAB NATIONAL BANK
Head Office: 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi 110607

NOMINATION FORM
(by the Shareholder)
(Refer Regulation 65(d) of the Regulations)

Sl. No.

To
The Chairman/Managing Director/Executive Director
PUNJAB NATIONAL BANK,
7, Bhikhaiji Cama Place,
New Delhi 110607

Dear Sir,
Nomination for Election of a Director

With reference to your Notice dated 02.02.2015, I ______________________ a shareholder of Punjab National Bank, holding __________ equity shares of Rs. 2/- each on 13th February 2015 do hereby nominate Shri/Smt ______________________ son/daughter/wife of Shri ________ ______________________ residing at ______________________
____
______ for being elected as a Director of Punjab National Bank representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, at the Extraordinary General Meeting of the shareholders to be held on 19.03.2015.

Signature

Name	
Number of Shares	
Regd. Folio/DPID-CLID	
Place	
Date	

Notes :

1. In case nomination is made by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
2. Signatures of the shareholders nominating the candidates should match with the specimen signatures available with Share Transfer Agent of the Bank.
3. If any of the columns above is left blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

पंजाब नैशनल बैंक

प्रधान कार्यालय : 7, भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110 607

व्यक्तिगत सूचना

(....................2015 की स्थिति अनुसार संलग्नकों सहित)

प्रत्याशी द्वारा घोषणा एवं वचनपत्र

I		**प्रत्याशी का व्यक्तिगत विवरण**	
	क	पूरा नाम	
	ख	जन्मतिथि	
	ग	शैक्षिक योग्यता	
	घ	सम्बद्ध पृष्ठभूमि एवं अनुभव	
	ड़	स्थायी पता	
	च	वर्तमान पता	
	छ	ई–मेल आईडी / टेलीफोन नम्बर (लैंडलाइन / मोबाइल)	
	ज	आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या और आयकर सर्कल का नाम एवं पता	
	झ	सम्बद्ध ज्ञान एवं अनुभव (बैंककारी कम्पनी उपक्रम का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3ए) देखें	
	ञ	बैंक के निदेशक–पद से संबंधित अन्य कोई जानकारी	
II		**प्रत्याशी के सम्बन्धियों का विवरण**	
	क	बैंक के साथ किसी भी रूप में सम्बद्ध रिश्तेदार, यदि कोई हों, का ब्यौरा (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 देखें)	

Annexure –3

PUNJAB NATIONAL BANK

Head Office: 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi 110607

PERSONAL INFORMATION

(With enclosures as appropriate as on _____,2015)

DECLARATION AND UNDERTAKING

I.		**Personal details of the candidate**	
	A	Name in Full (in block capital letters)	
	B	Date of Birth	
	C	Educational Qualifications	
	D	Relevant Background and experience	
	E	Permanent Address	
	F	Present Address	
	G	E-mail address/ Telephone Number (Landline/Mobile)	
	H	Permanent Account Number (under the Income Tax Act) and Name and address of Income Tax Circle	
	I	Relevant Knowledge & Experience (Refer Section 9 (3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970	
	J	Any other information relevant to Directorship of the Bank.	
II.		**Relevant Relationships of the candidate**	
	A	List of Relatives, if any, who are connected with the Bank in any way (Refer Section 2 of the Companies Act, 2013)	

	ख	ऐसी संस्थाओं की सूची, यदि कोई है, जिनमें उसे हितबद्ध समझा जाता है (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 देखें)	
	ग	ऐसी संस्थाओं की सूची, जिनमें प्रत्याशी को बैंककारी विनियनन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एन ई) के अर्थ दायरे में महत्वपूर्ण हित धारित करने वाल समझा जाता है। (प्रस्तावित एवं मौजूदा)	
	घ	बैंक का नाम जिसमें वह निदेशक मंडल का सदस्य है अथवा रहा है (उस–अवधि का ब्यौरा दें जिस दौरान आप उस पद पर रहे)।	
	ड.	उसके द्वारा और/अथवा उपरोक्तानुसार–II (ख) एवं (ग) में दर्शायी गयी संस्थाओं द्वारा निधि एवं गैर–निधि सुविधाएं जिनका इस समय लाभ उठाया जा रहा है।	
	च	ऐसे मामले, यदि कोई हों, जहां उम्मीदवार अथवा उपरोक्तानुसार–II (ख) एवं (ग) में दर्शायी गयी संस्थाएं बैंक से या अन्य किसी बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं में चूककर्ता है या पहले चूककर्ता रहा है।	
III		**व्यावसायिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड**	
	क	संबंधित व्यावसायिक उपलब्धियां	
IV		**प्रत्याशी के खिलाफ कार्यवाहियां, यदि कोई हों**	
	क	यदि प्रत्याशी व्यावसायिक संस्था/निकाय का सदस्य है और उसके खिलाफ यदि कोई अनुशासनिक कार्रवाई लम्बित हो अथवा आरम्भ की गयी हो अथवा विगत में उसे दोषी ठहराया गया हो अथवा उसे किसी भी समय किसी व्यवसाय/कारोबार शुरू करने के लिए प्रतिबंधित किया गया हो, का विवरण दें।	
	ख	निदेशक और/अथवा उपर्युक्त–II (ख) एवं (ग) में सूचीबद्ध किसी इकाई के खिलाफ आर्थिक नियमों और विनियमों के लिए विगत में लम्बित अथवा शुरू किए गए अथवा दोष सिद्ध हुए अभियोजन, यदि काई हो, का विवरण	

	B	List of entities if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 184 of the Companies Act, 2013).	
	C	List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed & existing.	
	D	Name of Bank in which he/she is or has been a member of the board (giving details of period during such office was held)	
	E	Fund and non-fund facilities, if any, presently being enjoyed by him/her and/or by entities listed in II(B) and (C) above from the Bank.	
	F	Cases, if any, where the candidate or entities listed at II (B) & (C) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the Bank or any other bank.	
III.		**Records of Professional Achievements**	
	A	Professional achievements relevant	
IV.		**Proceedings, if any, against the Candidate**	
	A	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of at any profession/occupation at any time.	
	B	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the director and/or against any of the entities listed in II (B) & (C) above for violation of economic laws and regulations.	

	ग	प्रत्याशी के खिलाफ विगत में लम्बित अथवा शुरू किए गए अथवा दोष सिद्ध आपराधिक अभियोजन, यदि कोई हों, के विवरण	
	घ	क्या प्रत्याशी को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है?	
	ड.	क्या प्रत्याशी अथवा उपर्युक्त II (ख) एवं (ग) में दी गई किसी ईकाई की सरकारी विभाग अथवा एजेंसी के निर्देश पर कोई जांच की गई है।	
	च	क्या प्रत्याशी को कभी/सीमाशुल्क/आबकारी/आयकर/विदेशी मुद्रा विनिमय/अन्य रेवेन्यू प्राधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/कानूनी अपेक्षाओं के उल्लंघन कादोषी ठहराया गया है, यदि हां तो विवरण दें।	
	छ	क्या किसी नियामक संस्था जैसे कि सेबी, आईआरडीए, डीसीए इत्यादि द्वारा प्रत्याशी/निदेशक के खिलाफ कभी कुछ प्रतिकूल पाया गया है। (यद्यपि उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह ऐसे आदेशों एवं निष्कर्षों के कॉलम का उल्लेख करे जिन्हें बाद में पलट दिया गया है/पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है, फिर भी उसके लिए यह बताना आवश्यक होगा, यदि निर्णय का पलटा जाना/समाप्त किया जाना अधिकार क्षेत्र की कमी परिसीमन आदि कारणों से हो तथा गुण–दोष के आधार पर न हो। यदि नियामक के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगायी गयी हो तथा अपीलीय/न्यायालय संबंधी कार्रवाई विचाराधीन हो तो, उसका उल्लेख भी किया जाना चाहिए)।	
V		मद संख्या I से III के संबंध में, कोई अन्य स्पष्टीकरण/सूचना और अन्य कोई जानकारी जो, 'सक्षम एवं उपयुक्त' स्थिति का निर्णय लेने के लिए संगत हो।	

	C	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate.	
	D	Whether the candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013.	
	E	Has the candidate or any of the entities at II (B) & (C) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
	F	Has the candidate at any time been found guilty of violation of rules/regulations/legislative requirements by customs/ excise/income tax/foreign exchange/other revenue authorities; if so give particulars.	
	G	Whether the candidate/director had at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA etc. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc. and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned)	
V		Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging 'fit and proper'.	

वचनपत्र

मैं पुष्टि करता/करती हूं कि उक्त सूचना मेरे सर्वोतम ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सही एवं पूर्ण है। उक्त दी गई सूचना में मेरी नियुक्ति के पश्चात होने वाले परिवर्तन की जानकारी मैं यथाशीघ्र बैंक को अवगत करवाने का वचन देता/देती हूं।

बैंक के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादित की जाने वाली अपेक्षित प्रतिज्ञा पत्र को निष्पादित करने का भी मैं वचन देता/देती हूं।

स्थान :

दिनांक :

प्रत्याशी के हस्ताक्षर

VI. नामांकन समिति की टिप्पणियां

स्थान :

दिनांक

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
सदस्य का नाम	सदस्य का नाम	सदस्य का नाम

Undertaking

I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete.

I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute the deed of covenant required to be executed by all directors of the Bank.

Place :

Date : Signature of the Candidate

VI. Remarks of the Nomination Committee :

Place

Date

Signature	Signature	Signature
Name of Member	Name of Member	Name of Member

पंजाब नैशनल बैंक

प्रधान कार्यालय : 7, भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110 607

फार्म–"बी"

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाए)

पंजीकृत फोलियो सं. (यदि डीमेटेरियालाइज्ड नहीं है)
डीपीआईडी सं. ग्राहक आईडी सं. (यदि डीमेटेरियालाइज्ड हैं)
शेयरों की सं.

मैं/हम...राज्य...

के जिला...का/की/के निवासी...

पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा

....राज्य के...जिला...के निवासी

श्री/श्रीमती...को अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर

....राज्य के जिला...के निवासी श्री/श्रीमती..को

बृहस्पतिवार, 19 मार्च, 2015 समय प्रातः 10.30 बजे

पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक में जो **पंजाब नैशनल बैंक ऑडिटोरियम, केन्द्रीय स्टाफ कॉलेज, 8, अंडर हिल रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली–110054** में आयोजित होगी तथा इसके अधिस्थगन में मेरी/हमारी ओर से मेरे/हमारे लिए मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता हूं/करती हूं/करते हैं।

रसीदी टिकट

.....................माह के..........................दिन, 2015 को हस्ताक्षरित।

प्रथम धारक/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर..

Punjab National Bank

Head Office: 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi – 110 607

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

Regd. Folio No. (If not Dematerialised)	
DPID No. Client ID No. (If Dematerialised)	
No of shares.	

I/We, ______________________________ resident/s of ______________________

in the district of ______________________ in the state of ______________________

being a shareholder/s of Punjab National Bank, hereby appoint Shri/Smt.

______________________ resident of _________________________________ in the district of ________________ in the state of ________________________ or failing him/her, Shri/Smt. ______________________________ resident of _____________________ ____________________________ in the district of __________________________ in the state of ___________________________ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Bank to be held on Thursday, the 19th March, 2015, at 10.30 a.m., at Punjab National Bank Auditorium, Central Staff College, 8, Underhill Road, Civil Lines, Delhi – 110054 and at any adjournment thereof.

Revenue Stamp

Signed this _______ day of ___________ 2015.

Signature of sole/first holder

Signature of the Proxy ______________________

प्राक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने एवं प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

1. प्राक्सी दस्तावेज तभी वैध होगा, जब

    क) वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा या उसके अटार्नी द्वारा लिखित में विधिवत् प्राधिकृत किया जायेगा।

    ख) संयुक्त धारकों के मामले में सदस्य रजिस्टर में पहले नाम पर शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे या उसके अटार्नी द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किया जाएगा।

    ग) निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसकी कॉमन सील, यदि हो, के तहत निष्पादित किया जाएगा। अथवा इसके लिखित में विधिवत् प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

    घ) विधिवत् स्टाम्पित फार्म 'बी' में होगा

2. प्रॉक्सी दस्तावेज जिस पर शेयरधारक द्वारा अंगूठे का निशान लगाया गया है, तभी वैध माना जाएगा जब इसे किसी जज, मैजिस्ट्रेट, आश्वासन रजिस्ट्रार, आश्वासन रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार द्वारा या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी द्वारा या पंजाब नैशनल बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया गया हो।

3. प्रॉक्सी जिसके साथ में

    क. पॉवर ऑफ अटार्नी या प्राधिकार पत्र (यदि हो तो) जिसके अन्तर्गत इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं या

    ख. उक्त पॉवर आफ अटार्नी या प्राधिकार पत्र की प्रति जिसे नोटेरी या मजिस्ट्रेट द्वारा अधिप्रमाणित किया गया हो, असाधारण आम बैठक की तिथि से कम से कम 4 दिन पहले शनिवार, 14 मार्च, 2015 को कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात् सांय 2.00 बजे से पहले शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, पंजाब नैशनल बैंक, प्र. का. 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 में जमा करवा दिया जाए।

4. यदि संबंधित मुख्तारनामा पंजाब नैशनल बैंक में या इसके शेयर हस्तांतरण एजेन्ट के पास पहले से पंजीकृत है तो मुख्तारनामे में पंजीकृत संख्या और पंजीकरण की तिथि का उल्लेख किया जाए।

5. बैंक के पास जमा प्राक्सी प्रपत्र अविकल्पी और अंतिम होगा।

6. यदि प्राक्सी प्रपत्र वैकल्पिक रूप से दो लोगों के पक्ष में मंजूर किया गया हो तो एक से अधिक प्राक्सी को निष्पादित नहीं किया जाएगा।

7. जिस शेयरधारक ने प्राक्सी प्रपत्र को निष्पादित किया है, वह उस बैठक में, जिससे ये प्रपत्र संबंधित है, उपस्थित होकर मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

8. इस प्रकार नियुक्त प्राक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे में प्राक्सी, प्रदाता की ओर से उपस्थित हो सकेगा और वोट दे सकेगा।

9. कोई व्यक्ति **पंजाब नैशनल बैंक** के किसी अधिकारी या कर्मचारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्राक्सी नियुक्त नहीं कर सकता है।

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
    a. in case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing,
    b. in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register of Shareholders or by his/her attorney duly authorised in writing,
    c. in the case of a body corporate, it is signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing.
    d. shall be in the Form B and duly stamped.
2. An instrument of proxy, in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Punjab National Bank.
3. The proxy together with:
    a. The power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
    b. A copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Share Department, Finance Division, Punjab National Bank, Head Office : 5, Sansad Marg, New Delhi – 110 001 not later than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e. on or before closing hours i.e. 2.00 p.m. of Saturday, the 14th March, 2015.
4. In case the relevant power of attorney is already registered with Punjab National Bank or its Share Transfer Agent, the registration number of the power of attorney and the date of such registration may be mentioned.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
8. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting but such proxy can attend & vote on behalf of the grantor.
9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Punjab National Bank.

पंजाब नैशनल बैंक
प्रधान कार्यालय : 7, भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110 607
उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश–पत्र सह बैलेट पेपर पास
असाधारण आम बैठक
बृहस्पतिवार, 19 मार्च, 2015 समय प्रातः 10.30 बजे
पंजाब नैशनल बैंक ऑडिटोरियम, केन्द्रीय स्टाफ कॉलेज
8, अंडरहिल रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली–110054

उपस्थिति पर्ची
(उपस्थिति पंजीकरण के समय लौटा दी जाए)

नाम स्पष्ट अक्षरों में शेयरों की संख्या (शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि)	पंजीकृत फोलियो / डीपीआईडी / ग्राहक आईडी सं	शेयरों की संख्या
		शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

पंजाब नैशनल बैंक
प्रधान कार्यालय : 7, भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110 607
असाधारण आम बैठक
बृहस्पतिवार, 19 मार्च, 2015 समय प्रातः 10.30 बजे
प्रवेश पत्र
(बैठक की कार्यवाही के दौरान अपने पास रखा जाए)

नाम स्पष्ट अक्षरों में शेयरों की संख्या (शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि)	पंजीकृत फोलियो / डीपीआईडी / ग्राहक आईडी सं	शेयरों की संख्या
		शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

बैठक हॉल में प्रवेश के लिए शेयरधारकों / प्रॉक्सीधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इस उपस्थिति पत्रक–सह–प्रवेश पत्र को बैठक कक्ष में उप. स्थिति के समय विधिवत् हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश पत्र वाला भाग शेयरधारकों / प्रॉक्सीधारकों / प्राधिकृत / प्रतिनिधियों को लौटा दिया जाएगा जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना होगा। बैलेट पेपर का जो भाग आपको मिला है, उसका पास वाला हिस्सा आपको लौटाना होगा। किसी भी स्थिति में प्रवेश द्वार पर कोई डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जायेगी।

पंजाब नैशनल बैंक
प्रधान कार्यालय : 7, भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110 607

असाधारण आम बैठक
बृहस्पतिवार, 19 मार्च, 2015 समय प्रातः 10.30 बजे
मतदान पत्र
(मतदान पत्र प्राप्त करने के लिए पोलिंग काउंटर पर लौटा दी जाए)

नाम स्पष्ट अक्षरों में शेयरों की संख्या (शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि)	पंजीकृत फोलियो / डीपीआईडी / ग्राहक आईडी सं	शेयरों की संख्या
		शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

PUNJAB NATIONAL BANK

HEAD OFFICE : 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi 110607

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS-CUM-BALLOT PAPER PASS

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING, THURSDAY THE 19TH MARCH, 2015 AT 10.30 A.M.

AT PNB AUDITORIUM, CENTRAL STAFF COLLEGE, 8, UNDERHILL ROAD, CIVIL LINES, DELHI-54

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of registration of attendance)

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	REGD.FOLIO/DPID &CLIENT ID No.	Number of Shares
		Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative

PUNJAB NATIONAL BANK

HEAD OFFICE : 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi 110607

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING, THURSDAY, THE 19TH MARCH, 2015 AT 10.30 A.M.

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	REGD.FOLIO/DPID &CLIENT ID No.	Number of Shares
		Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative

Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to produce Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/ Authorised Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The Ballot Paper Pass portion shall be surrendered to obtain Ballot Paper. Under no circumstances, any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass will be issued.

PUNJAB NATIONAL BANK

HEAD OFFICE : 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi 110607

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING, THURSDAY, THE 19TH MARCH, 2015 AT 10.30 A.M.

BALLOT PAPER PASS

(To be surrendered at the Polling Counters to obtain Ballot Paper)

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	REGD.FOLIO/DPID &CLIENT ID No.	Number of Shares
		Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

प्रधान कार्यालयः 7, भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110 607
(ईमेलः hosd@pnb.co.in)

ईजीएम सूचना दिनांक 02.02.2015 का परिशिष्ट – ईजीएम दिनांक 19.03.2015

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली ने अपने 9 फरवरी, 2015 के पत्र द्वारा यह सूचित किया है कि सरकार ने हमारे बैंक में बैंक के पुनः पूंजीकरण के उद्देश्य से भारत सरकार के पक्ष में इक्विटी पूंजी के अधिमान आधार पर आवंटन के माध्यम से रू. 870 करोड़ की पूंजी डालने का निर्णय लिया है। चूंकि सरकार से उक्त पत्र प्राप्त होने से पहले ही शेयरधारकों को प्रेषित की जाने वाली व्यैक्तिगत सूचनाएं मुद्रित की जा चुकी है, अतः शेयरधारकों से विशेष संकल्पन के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त करने के अपेक्षित बिजनेस को ईजीएम सूचना के साथ परिशिष्ट के रूप में शामिल किया गया है। बैठक की इस अतिरिक्त कार्यसूची मद सं. 3, में प्रस्तावित संकल्प और व्याख्यात्मक कथन निम्नवत् हैं।

कार्यसूची मद सं. (3) अधिमान आधार पर इक्विटी शेयरों के निर्गम

संकल्प

निम्नलिखित पर विचार करना और उचित समझे जाने पर संशोधन सहित या संशोधन के बिना विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :

'**संकल्प किया जाता है कि** राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (जिसे इसके बाद 'योजना' कहा जायेगा) और पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन, 2000 जिसे इसके बाद 'विनियमन' कहा जाएगा, के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' कहा जायेगा) के प्रावधानों के अनुसरण में तथा यदि आवश्यक हुआ तो भारतीय रिजर्व बैंक, (आरबीआई), भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), और/अथवा इस सम्बन्ध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और स्वीकृति के अधीन तथा निदेशक मंडल द्वारा व्यक्त की गई सहमति के अनुसार इस सम्बन्ध में किन्हीं शर्तों, निबन्धनों और संशोधनों के अधीन ऐसे अनुमोदन देने के लिए एवं सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन 2009 **(सेबी आईसीडीआर विनियमन)** और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य सभी संबद्ध प्राधिकरणों द्वारा समय–समय पर निर्धारित विनियमों के अनुसार एवं जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, उनके सूचीकरण करारों के अधीन बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल को (जिसे इसके बाद इस संकल्प में '**निदेशक मंडल**' कहा गया है, जिसके सम्बन्ध में यह माना जायेगा कि उसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल होगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गठित की गई हो व गठित की जानी हो) प्रदान की जाती है कि **सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76(1) के अनुसरण में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रत्येक रु.2/– अंकित मूल्य के रु.194.80 प्रीमियम पर जोकि रु.196.80 प्रति इक्विटी शेयर की दर से 4,42,07,317 इक्विटी शेयर तक अधिमान आधार पर भारत सरकार को सृजन, ऑफर, निर्गम और आवंटन करें जिसकी राशि रु.870 करोड़ से अधिक न हो।**

'**यह भी संकल्प किया जाता है कि** निर्गम, आवंटन तथा निदेशक मंडल की सहमति के अनुसार शेयरों के सूचीबद्ध करने के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते समय निदेशक मंडल को यह अधिकार होगा कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, उस स्टॉक एक्स चेंज अथवा अन्य उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित अथवा लगाये गये प्रस्तावों के संशोधनों को स्वीकार करें ।

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** इस संकल्प के अनुसरण में अधिमान आधार पर जारी किये जाने वाले एवं आबंटित किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयर अमूर्त रूप में जारी किए जायेंगे एवं "सेबी आईसीडीआर विनियमन" के अध्याय VII के अंतर्गत अवरूद्धता अवधि की अपेक्षाओं के अधीन होंगे तथा ऐसी घोषणा के समय प्रवृत्त सांविधिक मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ (घोषित लाभांश सहित, यदि कोई है) सभी दृष्टियों से समान माने जायेंगे।"

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नैशनल बैंक

(गौरी शंकर)
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनाक : 14–02–2015

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

Head Office : 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi- 110 607
(Email: hosd@pnb.co.in)

Addendum to the EGM notice dated 02.02.2015 - EGM dated 19.03.2015

Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi, vide letter dated 9th February 2015 has informed that the Government has decided to infuse capital funds to the tune of Rs. 870 crores in our Bank by way of preferential allotment of equity capital in favour of Government of India for recapitalization of the Bank. As individual notices have already been printed before receipt of letter from the Government, this business requiring shareholders approval by way of special resolution is included as an addendum to the EGM notice. This additional agenda item No. 3 of the meeting, proposed resolutions and explanatory notes are as under:

Agenda Item No. (3) - Issue of equity shares on preferential basis.

Resolutions:

To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following as a Special Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the '**Act**') read with The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 (hereinafter referred to as the '**Scheme**') and Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as the `**Regulations**') and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India **(RBI)**, Government of India **(GOI)**, Securities and Exchange Board of India **(SEBI)**, and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 **(SEBI ICDR Regulations)** and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called the "**Board**" which shall deemed to include a committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) **to create, offer, issue and allot up to 4,42,07,317 Equity Shares of face value of Rs.2/- each to GOI on preferential basis at a premium of Rs. 194.80 per equity share i.e. at a price of Rs. 196.80 per equity share not exceeding Rs. 870 crores determined by the Board in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations.**

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GoI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements required under Chapter VII of the "SEBI ICDR Regulations" and shall rank pari passu in all respects (including dividend declared, if any) with the existing equity shares of the Bank in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

By order of the Board of Directors
For Punjab National Bank

(Gauri Shankar)
Managing Director & CEO

Place: New Delhi
Date: 14-02-2015

• **व्याख्यात्मक कथन**

• अधिमान आधार पर भारत सरकार को इक्विटी शेयरों का निर्गम – भारत सरकार ने दिनांक 9.2.2015 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2014–15 के लिए बैंक के पुनः पूंजीकरण के उद्देश्य से भारत सरकार के पक्ष में इक्विटी के अधिमान आधार पर आबंटन के माध्यम से रु. 870 करोड़ की पूंजी निधियों को डाला जाए। तदनुसार उक्त आबंटन हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा गया है ।

सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के अध्यधीन यथापेक्षित प्रकटन

अ) अधिमान निर्गमों का उद्देश्य

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी सुदृढ़ करने की पहल में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में इसकी शेयर धारिता बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में हमारे बैंक में भारत सरकार की धारिता 58.87% है और भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत सरकार के पक्ष में इक्विटी शेयरों के अधिमान आधार पर आबंटन के माध्यम से सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियम 76(1) के अनुसार प्रत्येक रु. 2/– अंकित मूल्य के रु.194.80 प्रीमियम पर जोकि रु.196.80 प्रति शेयर की दर से 44207317 शेयरों में निवेश किया जायेगा।

ब) यह संपूर्ण अधिमान निर्गम भारत सरकार– बैंक के प्रवर्तक द्वारा सब्सक्राइब किया जायेगा। निर्गम मूल्य का निर्धारण सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियम 76 (1) के अनुसार होगा। निर्गम मूल्य के निर्धारण की संबद्ध तिथि 16.02.2015 है।

स) शेयरों के जारी करने से पूर्व और पश्चात् शेयरधारिता का स्वरूप निम्नवत् होगा :–

क्रम सं.	वर्ग	निर्गम से पहले		निर्गम के पश्चात्	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता %	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता %
अ	प्रवर्तक की धारिता (भारत सरकार)	106,58,40,595	58.87	**	**
ब	गैर–प्रवर्तक धारिता	74,45,09,035	41.13	**	**
	कुल	181,03,49,630	100.00		100.00

** भारत सरकार अधिमान निर्गम में रु. 2/– अंकित मूल्य के रु.194.80 प्रीमियम पर 44207317 इक्विटी शेयरों में रु. 196.80 प्रति इक्विटी शेयर की दर से निवेश करेगी जो सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76(1) के अनुसार निर्धारित किया गया है, जो कुल रू. 870 करोड़ तक होगा। शेयरों का आबंटित संकल्प पारित होने के 15 दिन के भीतर पूरा कर दिया जाएगा।

घ) बैंक का सेबी आईसीडीआर विनियमनों में यथा निर्दिष्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्गम प्रक्रिया पूरा करने का प्रयास है।

ड़) चूंकि संपूर्ण निर्गम भारत सरकार, प्रमुख शेयरधारक और बैंक के प्रवर्तक को अधिमान आधार पर आबंटित किया जाना प्रस्तावित है, अतः नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं होगा।

च) भारत सरकार की पूर्व और पश्चात् निर्गम शेयरधारिता निम्नवत् होगी :–

	शेयरों की संख्या	पूंजी का अनुपात
निर्गम पूर्व	106,58,40,595	58.87%
निर्गम पश्चात्	**उपर्युक्त 'स' में दिये गये टिप्पण के अनुसार	**उपर्युक्त 'स' में दिये गये टिप्पण के अनुसार

छ) बैंक के इक्विटी शेयरों का सूचीयन छः माह से अधिक समय पहले हो चुका है और तदनुसार सेबी आईसीडीआर विनियमनों, 2009 के विनियम 76(3) और 78(5)तथा सेबी आईसीडीआर विनियमन 2009 के विनियम 73(1)(एफ) और (जी) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

ज) जारी किये जाने वाले और भारत सरकार को आबंटित किये जाने वाले सभी इक्विष्टी शेयर आबंटन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अवरूद्ध होंगे।

झ) सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि निर्गम इन विनियमों की अपेक्षानुसार जारी किया जा रहा है, निर्गम बैठक में पटल पर रखा जायेगा।

ण) भारत सरकार द्वारा धारित सभी इक्विटी शेयर डीमेट रूप में हैं और स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ सूचीयन करार में विनिर्दिष्टानुसार इक्विटी शेयरों को लगातार सूचीबद्ध करने की शर्त कर अनुपालन करता है।

ट) भारत सरकार के पक्ष में जारी किये जाने वाले इक्विटी शेयरों पर सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2009 व नवीन संशोधन, यदि कोई है तो लागू होगें।

• उक्त बैठक की व्यक्तिगत सूचना में अन्य बातों के साथ–साथ मुख्य बुकलेट में प्रॉक्सी फार्म और उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास आदि का प्रारूप संलग्न है।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नैशनल बैंक

(गौरी शंकर)
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनाक : 14–02–2015

EXPLANATORY STATEMENT

Issue of Equity Shares on preferential basis to GoI - Government of India vide letter dated 9.02.2015 has informed that the government has decided to infuse capital funds to the tune of Rs.870 crores by way of preferential allotment of equity in favour of Government of India for the purpose of recapitalization of Bank for the year 2014-15. Accordingly shareholder approval is sought for the said allotment.

Disclosure as required to be made in terms of SEBI (ICDR) Regulations :

a) Objects of the Preferential Issue

In an initiative to strengthen the capital base of the Public Sector Banks, the Government of India decided to infuse capital funds in Public Sector Banks (PSBs). At present in our Bank, the holding of GoI is 58.87% & GoI has decided to invest upto 44207317 equity shares of face value of Rs. 2/- each on preferential basis at a premium of Rs. 194.80 per equity share i.e. at a price of Rs. 196.80 per equity share in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations.

b) The entire preferential issue will be subscribed by the GoI - the promoter of the Bank. The issue price has been determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations. The relevant date for ascertaining the issue price is 16.02.2015.

c) Shareholding pattern before and after the issue.

Sl. No.	Category	Before the Issue		After the Issue	
		No. of shares held	Percentage of shareholding	No. of shares held	Percentage of shareholding
A	Promoter's Holding (GoI)	106,58,40,595	58.87	**	**
B	Non-Promoter Holding	74,45,09,035	41.13	**	**
	Total	181,03,49,630	100.00		100.00

**GoI will invest upto 44207317 equity shares of face value of Rs. 2/- each on preferential basis at a premium of Rs. 194.80 per equity share i.e. at a price of Rs. 196.80 per equity share determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations, aggregating up to Rs. 870 crore. The allotment of equity shares will be completed within 15 days of the pasing of the Resolution.

d) The Bank endeavors to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.

e) As the entire issue is proposed to be allotted to Government of India, the major shareholder and Promoter of the Bank, on preferential basis, there would not be any change in control.

f) The Pre and Post issue shareholding of the Government of India would be as under:

	Number of Shares	Percentage to Capital
Pre-issue	106,58,40,595	58.87%
Post - issue	** as per remarks given at c) above	** as per remarks given at c) above

g) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations and the disclosures under Regulation 73 (1) (f) & (g) of SEBI ICDR Regulations, 2009 are not applicable.

h) All the equity shares to be issued and allotted to the GoI shall be locked in for a period of three years from the date of Allotment.

i) The Certificate issued by the Statutory Central Auditor certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Meeting.

j) All the equity shares held by the GoI are in dematerialized mode and the Bank has complied with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

k) The issuance of equity shares in favour of GoI shall be subject to SEBI (ICDR) Regulations, 2009 as may be applicable at the relevant time including any amendments thereof.

Individual notices of the aforesaid meeting containing inter-alia, formats of Proxy form and Attendance Slip cum Entry Pass etc., are annexed in the main booklet.

By order of the Board of Directors
for PUNJAB NATIONAL BANK

(Gauri Shankar)
Managing Director & CEO

Place: NEW DELHI
Date: 14-02-2015